(Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Amendment Rules, 1998.

(ii) GSR 274(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force Chief Law Officer and Law Officers (Amendment) Rules, 1998.

(iii) GSR 275(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force (Medical Officers Cadre) Amendment Rules, 1998. [Placed in Library, for (i) to (iii) *see* No. LT 103998]

II A copy (in English and Hindi) of the Twenty-eights Annual Assessment Report on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union, for the year 1996-97. [Placed in Library, *See* Np. LT 1043/98]

I. Report and Accounts (1996-97) of the Wool and Wollens Export Promotion Council, New Delhi and related papers.

11. Report and Accounts (1996-97) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in EngHsh and Hindi) of the following papers:— 1 (a) rtiirty-second Annual Report and Accounts of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, *See* No. LT 967/98]

II. (a) Annual Report and Accounts of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Ac counts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, *See* No. LT 1108/98]

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं **कि**: राजभाषा अधिनियम, 1963(1963 का 19) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा श्री विष्णु कान्त शास्त्री, श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी और श्री राम देव भंडारी के राज्य सभा की सदस्यता से नियुक्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों को राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए, सभानुपाती प्रतिनिधित्व पद्वति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करने की कार्यवाही करें।

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON THg WORKING OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT—(CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Dr. M.M. Joshi.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में इस सदन ने कल बहुत महत्तपूर्ण चर्चा समाप्त की है। मैं आभारी हूं उन सभी विद्वान प्रबुद्व सदस्यों का जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए और बहुत से प्रश्न चर्चा के बीच में मंत्रालय के विचारार्थ भी प्रस्तुत किए हैं। एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि यह विभाग, यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है परंतु इसकी उपेक्षा भी बहुत हुई है। मैं इससे सहमत हूं । जितना महत्व, जितना ध्यान इस मंत्रालय की तरफ दिया जाना चाहिए था, वह आज तक, अभी तक नहीं दिया जा सका है। जो संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, वे संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराए गए। मैं इस बारे में सदन से एक निवेदन करना चाहता हें कि हम इस बारे में कोई राष्ट्रीय आम सहमति बना सकते हैं या नहीं कि शिक्षा को, मानव संसाधन विकास को हम अपने नियोजन में और अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कितना

महत्व देते हैं? कहां तक महत्व दें? संविधान ने एक दायित्व सरकार के ऊपर सौंपा है औऱ वह दायित्व है संविधान के आर्टिकल्स के अंदर, नीति निर्देशक सिंद्वातों के अंदर जिसके अनुसार एक निश्चित आयु की सीमा के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, यह सरकार के लिए एक निर्देश है, एक आदेश है । इस आदेश को पूरा करने के लिए संविधान में पहले दस वर्ष की अवधि पर्याप्त समझी गई लेकिन आज तो पचास वर्ष हो गए हैं, हम इस काम को अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। तथा हम इस काम को पूरा करना चाहते हैं? क्या यह हमारी वरांयता होगी? हमारी प्राथमिकता होगी? और अगर यह होगी औऱ इसमें आम सहमति है तो कम से कम इसके बजट में और इसकी व्यवस्थाओं में तो किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। औऱ तभी मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्लानिंग कमीशन को और वित्त मंत्रालय को सदा इस बारे में सचेत करते रहें कि जितने संसाधनों की आवश्यकता है, वह इस मामले में हमेशा हमें मिलते रहे। एक टास्क फोर्स में आकलन किया है कि अगर हम अपने समूचे देश की इस जनसंख्या को जो 14 वर्ष के नीचे की है, पुरे रुप में शिक्षित करना चाहेंगे, साक्षर बनाना चाहेंगे तो एक लाख पच्चीस हजार रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि लगभग 25 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमें इस मामले में खर्च करना होगा अकेले इसी योजना के लिए। अगर राष्ट्र की यह वरीयता है, प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि हमें एक शिक्षित राष्ट्र के रुप में संपूर्ण शिक्षित राष्ट्र के रुप में खड़ा होना है तो फिर राष्ट्र को यह भी तय करना होगा कि हमें यह साधन जुटाने होंगे। यह साधन सरकार औऱ समाज मिलकर जुटाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह साधन केवल केन्द्रीय सरकार के बजट से ही मिलेंगी लेकिन तब शिक्षा की योजना इस तरह की होनी चाहिए कि यह साधन इस तरह से जुटाए जा सकें और समाज का बड़ा भारी सहोयग हम इस मामले में प्राप्त कर सकें। इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा और फिर जो तमाम कानून है इन्कम टैक्स के कानून हैं, कम्पनी ला के कानून हैं उनको भी इसी हिसाब से परिवर्तित करना होगा। दूसरी बात एक औऱ है जिसकी मैं सदन के सामने विचारार्थ रखना चाहता हूं और मैं आशा करुंगा कि उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए औऱ वह यह है कि क्या यह जरुरी है कि जो खर्चीले साधन आज हमें दिखाई देते हैं, हम उन खर्चीले रास्तों से दी देश को सुशिक्षित करें क्या कोई लो कॉस्ट सिस्टम ऑफ ऐजूकेशन हम इजाद नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरुप हो? क्या यह जरुरी है कि ज्यादा खर्चीले सिस्टम से ही हम काम करें? एक सम्मानीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी ने इस तथ्य की ओऱ ध्यान आकृष्ट किया था। मैं उनसे इस मामले में सहमत हूं कि अगर हम लोग लो कॉस्ट टैकनीक्स कम खर्चीले रास्ते निकाल सकें और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित कर सकें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं कभी कभी गांवों में जाता हूं और मुझे विद्यालायों के भवनों का उदघाटन करने के लिए बुलाया जाता है । बहुत से भवनों पर लिखा होता है कि यह वित्त बैंक के द्वारा प्राप्त सहायता से मिले हैं। मैंने बार बार कहा है कि वह सहायता नहीं है ,वह ऋण है। विश्व बैंक के द्वारा दिये गये ऋण से हम यह भवन बनाते हैं। बच्चों के मन में शुरु से ही यह भावना पैदा कर देते है कि यह राष्ट्र अपने बच्चों के लिए शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, कहीं बाहर से कुछ पैसा आ रहा है । कोई नहीं जानता कि ऋण लेने का क्या मतलब होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हम अपनी शिक्षा अपने बलबुते पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शुरु से ही उसके दिमाग में यह मानसिकता बैठ जाए तो यह परमुखापेक्षी हो जाता है, वह हमेशा दूसरे के तरफ देखने का आदी हो जाता है औऱ समझता है कि देश का विकास बिना कर्जे के, बिना बाहर से पैसा लिए हुए नहीं किया जा सकेगा। एक मानसिकता उसकी बन जाती है, यह चिंता का विषय है। आज मैं देख रहा हूं कि इसका नतीजा यह हो रहा है कि राज्य सरकारें बजाय इसके कि अपने समजा का अंदर से अंदर उद्यम खड़ा करें, बजाय इसके कि अपने समाज के संसाधन इस मामले में लगाएं, वह सीधे सीधे विदेशी एजेंसियों से सीधे बातचीत करने की तरफ बढ़ रही है। और किसी न किसी तरह से पैसा लेने की बात, जुटाने की बात कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि कम से कम हम अपने बच्चों को शिक्षा तो स्वयं दे सकें, प्राथमिक शिक्षा तो स्वयंदे सकें। इतने साधन तो देश को जुटाने की तैयारी करनी चाहिए औऱ उसमें साधनों का अपव्यय नहीं हो, कम दाम में हम ज्यादा काम करवा सकें, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। मैंने इसीलिए इस बार एक योजना की शुरुआत करने की कोशिश की है जिसके बारे में, जिसके विस्तार के बारे में डिटेल्स के बारे में हम राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठकर विचार करेंगे और वह नेशनल रीकंस्ट्रक्शन कोर की स्थापना है जिसमें हम देश के पढ़े लिखे लोगों से, पढ़ने वाले बच्चों से, पढ़कर उपधि प्राप्त करने वाले बच्चों से, सर्टीफिकेट

प्राप्त करने वाले बच्चों से अनुरोध कर रहे है कि वह आएं और शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक साल का समय लगाएं। उस एक साल के समय में हम उनको कुछ मानदेव देंगे, पूरे साल भर उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद अगर साल दे साल बाद उनको वही काम पसंद आया तो उनको लिए रोजगार का साधन बन जाएगा। इससे प्रशिक्षित लोग मिल जाते हैं और शुरू से ही बच्चों के मन मैं यह भावना आ जाती है कि उन्हें अपना जीवन किस रास्ते पर ले जाना है।

रोजगार के साथ उसको बढाने की आवश्कता है। विकास के कार्यक्रमों की तरफ भी उसे लगा सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो विद्यार्थियों और नवयुवकों की शक्ति आज बेकार जा रही है उसको उपयोग करने की भ हमारी इच्छा है। शिक्षा का प्रसार जल्दी तथा कम खर्च में किया जा सके यह भी उसके पीछे धारणा है। लेकिन कई बार स्थिति दूसरी भी होती है। कुछ लोगों को यह शंका होने लगती है कि यह बीजेपी का हिडन एजेंडा है, यह अखबारों में टिप्पणी पढ़ी है। हम सीधे सीधे देश के नवयुवकों सो अपील करना चाहते हैं, सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वह आयें और इसमें शामिल हों और इस योजना को आगे बढ़ायें। राष्ट्रीय पुननिर्माण के काम में नौजवान लोग तो में समझता हूं कि यह देश के लिए भी अच्छा होगा और नवयुवकों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा।

सम्मानीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करूंगा कि हम देश को किधर ले जाना चाहते है? हम देश को कैसा बनाना चाहते है? शिक्षा वह व्यवस्था है जिससे समाज अपना पुनरनिर्माण करता है। The society reproduces itself, reconstructs itself,through education. अगर हम राष्ट्र के बारे में भवितव्य और इसके लक्ष्य ठीक ढंग से निर्धारित नहीं करेंगे तो शिक्षा के कार्यक्रम और शिक्षा की प्रणाली के लिए हम हमेशा इसी तरह के दिशा फ्रम में पड़े रहेंगे। हमारे देश के सम्मानित नेताओं ने बहुत पहले ही यह कहा कि शिक्षा के लिए समाज का उपक्रम होना चाहिए, समाज का सहयोग होना चाहिए। हमारे पास ऐसी रिपोटर्स विद्यामान है जो यह बताती हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश की शिक्षा प्रणाली में यहां की पंचायतों का सबसे जबर्दस्त योगदान था। पंचायत शिक्षा की व्यस्था करती थी, स्कूल चलाती थी, अध्यापकों को रखती थी और एक्सपर्ट अध्यापकों के घर में रह कर बच्चे पढ़ते थे। वह रिपोटर्स हमें बताती है कि शिक्षा सर्वजन समकक्ष थी। वह किसी एक जाति की, कि एक समुदाय की नहीं थी या किसी एक भाषा की शिक्षा पर मोनोपाली या एकाधिकार नहीं था। एडम्स की रिपोट्र्स हैं और बहुत सी रिपोट्र्स हैं जो प्रकाशित रूप आज उपलब्ध हैं। जो यह भी बताती है कि कितने बच पढ़ते थे यानी उस जमाने में एक हजार पचपन जनसंख्या के ऊपर एक स्कूल की व्यवस्था थी एडल्ट के लिए। यह उन्नीसवीं शताब्दी की बात कर रहा हूं 1880 के आसपास की, लेकिन आज तो अब 1998, दो हज सन पूरा होने जा रहा है और हम उस स्थान पर नहीं हैं हमारे स्कूलों की संख्या प्रति हजार या दो हजार के हिसाब से घट गई है। अगर आप विषय देखें तो देख में पता लगता है कि वह ऐस्ट्रोनॉमी तक गांव के अब बच्चों को बैठकर पढ़ा रहे थे, ग्रामर अच्छी से अच्छा पढ़ा रहे थे। बैंकिंग पढ़ा रहे थे। यह हमारी हालत थे शिक्षा की व्यवस्था की कि उस समय उसे सरकार फण्ड नहीं कर रही थी, गांव के गांव सभा उसे फण्ड कर रहे थी, तो विचारणीय बात है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ताकत कहां रखना चाहते हैं? मेरी निश्चित मान्यता है कि हम दिल्ली से बैठकर सारे देश के प्रशिक्षण का काम नहीं कर सकते। कोई राज्य अपनी राजधानी से, कोई लखनऊ से, कोई मुम्बई से, कोई चेन्नई से बैठकर अपने यहां के सारे गांवों में शिक्षा का प्रसार जल्दी नहीं कर सकता है। हमें एक विकेन्द्रित योजना की जरूरत है जिससे कि हम अपने देश में शिक्षा का प्रसार जल्दी से जल्दी कर सकें और लोगों को शिक्षित करने के लिए उत्साहित कर सकें।

एक बात यह कही जाती है कि भारत निरक्षरों का देश है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इसे थोड़ा उलट कर के भी देख लें। भारत में आज 50 प्रतिशत साक्षरत की दर बताई जाती है। अगर जनसंख्या का 50 प्रतिशत गिनें तो यह करीब करीब 48 करोड़ होती है या 49 करोड़ के लगभग होने जा रही है। अमेरिका की कुल जनसंख्या देखें तो वह भी 50 करोड़ से आसपास हैं। तो भारत केवल निरक्षरों का ही देश नहीं है यह साक्षरों का भी देश है। दुनिया के सबसे अधिक साक्षर जिस देश में रहते है उनमें से भारत एक है। लेकिन अपने देश को हमेशा कोसना कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, निरक्षर हैं, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छा द्दष्टिकोण नहीं है। यह बात ठीक है कि हमें सबको शिक्षित करना है, शिक्षा को सबके पास तक पहुंचाना है, इसमें मतभेद नहीं हो सकता। मगर बार बार यह कहे

कि हम तो मर गए, बिल्कुल कुछ हैं ही नहीं, अरे काफी है। अफसोस अगर करना है तो यह करें कि ग्रिज के आने के पहले हम जहां थे और जैसे थे, वहां से पहुंचे। क्योंकि तब हम बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षित यह करना कि हम 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत शीक्षित थे, यह उचित नहीं होगा, तब हम शायद 80 तशत या 90 प्रतिशत रहे थे। गांवों के जो उस जमाने रिकाड्‌र्स मिलते हैं वह यह हैं। महोदय, मेरा यह कहना है कि हम अपने मनों से यह बात निकाल दें, हर पत्र में यह कहा जाता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम कुछ ही नहीं, हम तो बे पढ़े लिखे हैं, हमको तो कुछ आता नहीं, यह सब बातें अब बन्द होनी चाहिएं। यह ठीक है अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

SHRl JANARDHANA POOJARY (Karnataka): We are happy to know that you have realised it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I ive always realised it and I have always lid it. You were not present in this ouse when I was the Member of this ouse.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I ive been here for the last twenty-one ;ars.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I dn't say that you were not here earlier you will not be here later. I wish you mtinue to be here only and not there.

सच है उसको हम सच कहते हैं। हमारी अपकी से आदत नहीं है। जो बात सही है, जो बात उचित उसको हमारे नेती श्री वाजपेयी जी ने भी हमेशा सदन कहा है और हमने भी सदन में कहा है और जो गलत उसको हमेशा कहेंगे कि गलत है।

श्री राज बब्बर (उत्तर प्रदेश): आपकी तरह से, तरफ देखकर क्या मतलब है? क्या आप समझते हैं इस तरफ बैठने वाले सारे लोग गलत ही बोलते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं यह नही कह रहा हूं। बात को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप जिस भाव मुद्रा में कह रहे हैं...(**व्यवधान**)... आप उस बात को समझ रहे हैं। इसके लिए आपकी ही फिल्म का गाना है कि जो ना समझे वो...

डा. मुरली मनोहर जोशी: इस तरफ कौन है, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो आपका गाना है वह मैंने बता दिया।

डा. (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): कभी आप यहां, कभी आप वहां।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कभी हम वहां, कभी आप यहां, यह बात तो चलती ही रहेगी। लेकिन उसमें जो तथ्य है उसको, सच को कहना चाहिए। इसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यह मेरी ततथा हमारे नेताओं की धारणा रही है और हमने इसका पालन किया है।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): पहले आपने कहा...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, are you yiedlding?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: No, Sir.

श्रीमती सरोज दुबे: हम लोग अनाड़ी हैं तो अब आप यह भी बता दें कि हम लोग क्या हैं, अनाड़ी हैं, नासमझ हैं या क्या हैं आप बता दें।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं कह निवेदन कर रहा था कि हमें अपने देश की तरफ देखने और अपनी समस्याओं की तरफ देखने की दृष्टि में एक रचनात्मक व गुणत्पक परिवर्तन की जरुरत है और यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजर आता है। एक हमत्वपूर्ण बात न्यायमूर्ति मिश्र जी ने उठाई थी कि हमारे देश में केवल अधिकारों की बता हो रही है, क्रतव्यों की बात नहीं होती। इस मामले में वे मेरे विचार जानते हैं और इस बारे में मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश की शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि हमारे नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, हमारे संविधान में जो फंडामिंटल ड्यूटीज लिखी हैं, वे क्या हैं? इसके लिए मैंने एक समिति बनाई थी। उसकी टर्मस आफ रेफ्रेन्स और कम्पोजिशन में बता रहा हूः

The Department of Education, in the , Ministry of Human Resource Development has set-up a Committee, consisting of the following, to work out a strategy as well as a methodology of operationalis-

ing a countrywide programme for teaching fundamental duties in every educational institution as a measure of in-service training.

Chairman, Justice J. S. Varma, Former Chief Justice, Supreme Court.

Members: (1) Dr. Karan Singh
(2) Shri L. M. Singhvi
(3) Dr. J. S. Rajput

Member Secretary: Dr. A. K-. Sharma

The terms of reference of the Committee are as under:—

(i) To develop a package for teaching fundamental duties at primary, secondary, senior secondary and university level;

(ii) To decide the activities as part of curriculum and co-curricular activities;

(in) To review the existing programme already being implemented by NCERT under the national cur-ricular framework and the need for identifying additional inputs to it;

(iv) To develop programme packages for pre-service or in-service training of teachers at various levels;

(v) To develop a separate package for the training of citizens through non-formal education, adult education programmes, media-print, electronic etc...

SHRIMATI URMILABEN CHIMAN-BHAI PATEL: I would like to add something.

श्री सभापति: बाद में, बाद में, अभी नहीं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं इस भावना से बहुत पहले से सहमत हूं और यह कमेटी भी इसी उद्देश्य से बनाई गई ताकि देश के आने वाले नवयुवकों और भविष्य में आने वाले हमारे नेताओं का अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को संतुलित ज्ञान रहना चाहिए कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों, दोनों का ज्ञान रहना चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण बात उठाई गई थी। सिब्बत साहब दिखायी नहीं दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)...पीछे बैठे हैं आप वहां से पीछे जाते रहेंगे तो उस तरफ बाहर निकलने की स्थिति आ जाएगी, इसलिए एक ही जगह पर रहा कीजिए।...(**व्यवधान**)... आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई थीं। आप ने नयी शिक्षा नीति के कंटूर्ज के बारे में बात कही थी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृत करना चाहता हूं। हम सभी राज्य की सरकारों के साथ उनके मंत्रियों के साथ सभी विषयों पर बात चीत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों खेल कूद और युवा मामलों के सभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी। अभी कुछ दिन बात महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है, बच्चों के संबंधित जो कार्यक्रम है, सारे देश के मंत्रियों को बुलाया है। इसके बाद सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को बुलाएंगे इनमें से जो सुझाव और कार्यक्रम छन कर आएंगे, उनका हम फिर देश के अन्य शिक्षाविदों से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इसके साथ मिल बैठ कर विचार करें और इस पर फैसला करेंगे कि अब इस शिक्षा नीति को जो अभी तक चल रही है कौन से उनपुट और डाल चाहियें, कौन सी चीजें इसमें सो हटाई जानी चाहियें क्योकि मैं यह मानता हूं कि केवल सरकारी दृष्टिको इसमें नही होता। शिक्षा के मामले में एक सर्व व्यार्प सार्वजनिक और आम सहमति का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए कोई हम सरकार की तरफ से एकदम चीज बैना कर रख दे और कहें कि इसको लागू किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहने वाले व्यक्ति होने के नाते, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश के सभी शिक्षाविदों और जितने हमारे भूतम शिक्षा मंत्री केन्द्र में रहे हैं, उन सभी से परामर्श करेंगे कि वह हमें बताएं कि उनके क्या अनुभव थे, वह जो काम कर रहे थे उसमें क्या कठनाइयां आई थीं और उन्होंने सम्मानित मित्र दूसरे मंत्रालयों में चले गए हैं हम सबके अनुभव का लाभ उठायेंगे। उसके बाद सदन के सामने आपके सामने एक मसौदा प्ररस्तुत करेंगे लेकिन वह आप सहमति के साथ होगा। वह सरकार की एक तरफ नीति के रूप में नहीं होगा। शिक्षा के मामले में मेरा अनुरोध है सारे देश से, सारे सदन से कि मैं इस एजेंडे को कर लेना चाहिए। यूरोप के देशों ने अपना एजुकेशन एजेंडा, पोलिटिकल एजेंडा, इकोनोमिक एजेंडा सब तमाम कर लिया और वह उस रास्ते पर जा रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों और बिना किसी बहस में पड़े शिक्षा

का एजेंडा तय करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिये। इस में लगभग आम सहमति है।...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): आप तो नेशनल एजेंडा में फंसे हैं।...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: नेशनल एजेंडा में तो हमें आपने फंसा रखा है। यदि आप अगर थोडी सी नजर ठीक कर लें तो देखिये फिर क्या होता है।...(**व्यवधान**)...

श्री एन. के. पी. साल्वे (महाराष्ट्र): आप अपनी नीयत ठीक करें, हमारी नजर ठीक है।...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमारी नीयत तो हम साफ कर रहे हैं, हमारी नीयत के बारे में जैसे जैसे हम काम करते चले जाएंगे। आप को भी पता होगा ऐर सब लोग जानते हैं कि जितने सवाल आए, उनका हमने पूरी नेकनीयती और साफ नीयत से जवाब दिया है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा और साइंस तथा टेकोनोलोजी मंत्रालय का सवाल है, वह बिल्कुल आपके सामने पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं जैसे सरकार काम कर रही है। इसलिए आपको यहां दिक्कत नहीं होगी। हर सुझाव के लिए, हर आपके उपयोगी, कारगर सुझाव का हम स्वागत करते हैं और उसके बारे में कभी किसी को यह शिकायत नहीं होगी कि उनके सुझावों पर हमने ध्यान नहीं दिया। आपको शायद मालूम होगा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जैसे ही सुझाव आए, हमने कहा कि यह बात ठीक है। हम उस पर कदम उठा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा किसी एक पोलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, शिक्षा सारे देश का सवाल है राष्ट के भविष्य का सवाल है। इसमें राजनीति करना या इसमें हर चीज पर शक करना, यह ठीक नहीं है। वैसे तो साल्वे साहब गुस्ताखी माफ करेंगे शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। इसलिए शक करना छोडिये, नेकनीयती और खुले दिल से आगे आइये फिर आपको पता चलेगा कि काम कैसे और कैसे बढ़िया तरीके से होता है।

एक और बात सिब्बल साहब ने उठाई थी, वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है लेकिन मुझे आपको सूचित करना है, आप जानते भी हैं कि वह मामले अभी भी कोर्ट के सामने विचारार्थ पड़े हुए हैं। इन माइनीरिटीज इंस्टीट्यूशंस के मामले में उनके द्वारा किये जाने वाले दुरुपयोग की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया था। मैं समझता हूं जब तक उच्चतम न्यायालय का फैसला इन प्रश्नों पर न आ जाए तो उसके सामने विचाराधीन है, इस बारे में कोई बात, कोई नीति, कोई चीज कहना उचित नहीं होगा।

एक बार जब फुल कांस्टीटयुशनल बेंच के सामने मामले गए हुए हैं तो उनका भी विचार कर लें। हां, अगर कोर्ट यह कह दे कि हम इस पर विचार नहीं कर सकेंगे तब बात अलग है। फिर हनको ही विचार करना होगा। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा और धैर्य रखें तो मैं समझता हूं कि उस मामले में कोई गलतफहमी किसी को पैदा होने की जरुरत नहीं होगी वरना मेरे शिक्षा मंत्री होने पर अभी इन्होंने नीयत का सवाल उठाया, फिर आजम साहब उठा देंगे, इब्राहीम साहब उठा देंगे। मैं इस चीज को साफ कना चाहता हूं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में थोडा धैर्य हमें रखना चाहिए और थोड़े दिन अगर कोई मिसयूज आपकी निगाह में आता है, उसको बर्दाश्त कर लेने में ज्यादा फायदा है बनिस्बत इसके कि कोई जल्दबाजी में कदम उठाया जाए और इससे ज्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन आपने एक अहम मसला उठाया है ओर मैं समझता हूं कि इन मामलों में एक राय देश भर की हो जानी चाहिए और शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप, उनकी कार्यप्रणाली, उनके अधिकार, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनारिटी के काम करने के तरीके इसके बारे में एक आम राय बन जानी चाहिए तथा उस तरह से उन्हें काम करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। हमें बहुत पहले गाइडलाइन्स इस मामले मे भेजी थी। कुछ डेलीगेटेड पावर्स के बारे में भी आपका उल्लेख था। वे गाइडलाइन्स आज भी स्टेंड करती है। लेकिन कुछ राज्यों ने स्वयं इस बारे में आपत्ति की है कि अभी आप इन गाइडलाइन्स को फोर्स मत कीजिए। इसके बारे में ज्यादा दबाव मत डालिए क्योंकि मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं मैं समझता हूं कि इस वक्त इस पर ध्यान देकर ही काम करना उचित होगा।

प्रो. ओ. रामगोपाल जी ने शिक्षा के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें रखी थीं। उसमें उन्होंने एक तो यह कहा था कि जो हमारी डी. पी. ई. पी. स्कीम है उसके अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो टाटा सूमो वगैरह गाडियों का उपयोग करते हैं। केन्द्रीय सरकार के जो परचेजिंग और इस मामले के जो उन लोगों को अधिकार दिए गए हैं उसमें एयरकंडीशन्ड गाड़ियों का उपयोग वर्जित है। लेकिन कुछ सरकारों ने अगर उन्हें इस तरह की इजाजत दी हो तो हम जरूर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें फिर से हिदायत देंगे कि इस चीजों में अगर

उन्हें सुदूर देहातों में जाना है तो बजाए टाटा सूमो गाडियों के जिप्सी से जा सकते हैं, एमबेसडर से जा सकते हैं। साधनों का सही ढंग से उपयोग करें और कम खर्चीले ढंग से काम चलाएं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया।

फिर उन्होंने कुछ मिड डे मील्स के बारे में भी बातें कहीं हैं। हम उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मिड डे मील्स यह हमने राज्यों के ऊपर छोड़ रखा है। वे कहीं पर तो पका पकाया काना तैयार करके बच्चों को देते हैं, कहीं अनाज का वितरण करते हैं। हम तो केवल राशि देने के लिए, पैसे देने के काम के लिए जिम्मेदार हैं। वह हम उनको उपलब्ध कराते हैं। मगर उसके बारे में मुझे अनुरोध यह करना है कि क्या यह मिड डे मील्स की जो स्कीम है यह शिक्षा विभाग की स्कीम मानी जाए या यह राष्ट्र की पोषण की स्कीम मानी जाए। फूड अन्य नीति के साथ माना जाए, पोषण नीति के साथ माना जाए, स्वास्थ्य नीति के साथ माना जाए या इसे केवल एक शिक्षा का कार्यक्रम मानेंगे? हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि संस्थाएं जहां इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है वे हमारे साथ हैं। उनका निरीक्षण हमारे विभाग के पास है। लेकिन इसका बजट, इसके लिए साधन, यह मैं समझता हूं कि शिक्षा के सामान्य बजट से अलग होने चाहिए क्योंकि यह सीधे शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है। यह एक सहायक कार्यक्रम है और राष्ट्र के बच्चों के पोषण का कार्यक्रम है, उनके आने वाले स्वास्थ्य का कार्यक्रम है। इसमें इन सभी मंत्रालयों को विचार करके देखना चाहिए। खाद्य मंत्रालय को भी इसमें देखना है, पोषण के लिए जिम्मेदार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसको भी इसमें देखना हो। अगर देश में ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तो उसको भी देखना है क्योंकि अगर घर में रोजगार मिलता है तो बच्चे को आहार भी ठीक मिलता है। इस तरह से वित्त मंत्रालय, इन सबको मिल करके इस पर विचार करना चाहिए और इसका जो बजट हो वह बजट शिक्षा के सामान्य बजट से अलग करके दिया जाना चाहिए। पहले ऐसा सोचा भी गया था लेकिन बीच में मैं यह देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से वह शिक्षा के सामान्य बजट में मिला दिया गया है। अगर यह व्यवस्थ्य भी कर दी जाए तो करीब करीब 2 हजार करोड़ रुपए शिक्षा के बजट में हमें और उपलब्ध हो सकेंगे तब हम प्राथमिक शिक्षा का काम भी बहुत तेजी से कर सकेंगे। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आम राय बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी सम्मानित सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जुडे हुए हैं। अगर बच्चे कुपोषित हैं, मैल न्यूट्रीशन उनके शरीर में है तो फिर उनका मस्तिक भी अविकसित हो जाता है। तो इसलिए इस रूप में बच्चों के भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए एक स्वस्थ बालक और शिक्षित बालक, दोनों मिलें, हमें इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए और एक समेकित नीति परप आना चाहिए। एक सम्मनित सदस्य ने इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया था कि ये सब काम कैसे हों, क्योंकि शिक्षा को लो मैरिट आइटम माना गया है। हमारी सरकार शिक्षा को लो मैरिट आइटम नहीं मानती। जहां तक मुझे याद आता है हमारे पुराने वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने एक डिसकशन के लिए नोट दिया था जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। वह शायद, मैं नहीं समझता कि ऐसी उस सरकार की नीति रही होगी, लेकिन एक डिसकशन के ले उन्होंने एक पेपर सर्कुलेट किया था उसमें इस शब्द का उल्लेख किया था। बाकी नियोजन से संबंधित हमारे पुराने मंत्री बैठे हुए हैं। श्री अलघ साहब, वे इस बारे में शायद ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी इतनी ही है। अगर हम शिक्षा को लो मैरिट आइटम मान लें तो मैं समझता हूं कि देश बड़ी भारी गलती करेगा। इससे बड़ा अपराध देश के साथ कोई नहीं होगा कि हम इसे लो प्रायरिटी पर रखें और लो मैरिट पर रखें। मैं समझता हूं कि सारे सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यह लो मैरिट है या हाईएस्ट मैरिट।

सभापति जी, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सन् 1975-96 तक चीन और हमारी प्रगति की दर में ज्यादा फर्क नहीं था लेकिन उसके बाद जब चीन आगे बढ़ा तो उसका एक कारण यह था कि उसने दो चीजों पर सबसे ज्यादा इन्बेस्टमेंट किया और वह शिक्षा और कृषि था। दुर्भाग्य से हमने इन दोनों का ही दिर्लक्ष्य इस देश में किया है। अगर हम चीन की प्रगति को देखें तो हम देखेंगे कि सन् 1976-77 के बाद चीन ने इस तरफ पूरा ध्यान देना शुरू किया तो शिक्षा और कृषि में इन्वेस्टमेंट की दरें बढ़ाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले 10-12-15 साल में चीन सब दृष्टियों से आगे बढ़ने में सक्षम हो सका. मैं अनुरोध करूंगा और सारे राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में हम आम सहमति करें, हम एक फैसला करें कि आने वाले दस सालों में हम शिक्षा को हाइएस्ट प्रायरिटी आइटम मान कर रखेंगे और इसका निवेश, इसका इन्वेस्टमेंट हम इस स्तर तक

रखेंगे और वह इन्वेस्मेंट सरकारी और गैर सरकारी सभी स्नोतों से होना चाहिए। इस बारे में भी हमें आम राय बना लेनी चाहिए। कई बार यह कहा जाता है कि अगर शिक्षा में बाहरी स्नोंतं से होने लगा तो शायद शिक्षा पूरे तौर पर इसका निजीकरण होगा तो जिसका उपयोग निर्धन व्यक्तियों के लिए हो नहीं सकेगा। यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है। मगर उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। आखिर आज कल कत्ते में बिजली की व्यवस्था आपने निजी लोगों के हाथ में दी और कलकत्ते कि उससे गरीब आदमी को बिजली मिलना बंद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता...(**व्यवधान**)... नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज...(**व्यवधान**)... अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज भी वैसे ही हो।...(**व्यवधान**)...

श्री एन. के. पी. साल्वे: रास्ते निकालने पडेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हां, रास्ते निकालने पड़ेंगे और मैं बताता हूं कि इसके लिए क्या रोकथाम की जाए कि शिक्षा केवल धनी व्यक्तियों को ही उपलब्ध न हो, यह सब को मिल सके। यह रास्ते निकालते हुए भी हम सार्वजनिक रुप में लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। इस देश में ऐसे यहां बहुत से लोग हैं जो यहां की परंपरा के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने के लिए तरह तरह के रास्ते अपना सकते हैं और आगे आ सकते हैं। मैंने जैसे निवेदन किया...(**व्यवधान**)...

SHRI S.R. BOMMAI (Karnataka): Sir, I would like to clarify one point. The United Front Government in its Cortimon Minimum Programme gave top priority to education and making education a fundamental right. In accordance with the Common Minimum Programme a Bill was introduced in the House for making education a fundamental right. The Bill was referred to the Standing Committee on Human Resource Development. The Committee has already submitted a report. Now the report is for the consideration of the hon Minister.

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपका कथन बिल्कुल ठीक है। यह बिल हमारे पास विचाराराधीन है और जो भी सिफारिशें की गई हैं उसके लाइट में हम उसे देख रहे हैं कि फंडामेंटल, कंपल्सरी और फ्री करने के ऐसे रास्ते न हों कि जिससे गरीब आदमी जो अपने बच्चों को न पढ़ा पा रहा हो, वह कहीं जेल न चला जाए, उसको भी बचाना है। इस तरह से हम उसके सभी अंगों पर विचार कर रहे हैं और यह तो सारा राष्ट्र मानता है कि यह सब को मिल कर करना है। हरेक बच्चे को शिक्षा मिलना उसका अधिकार है। यदि यह बात स्वीकार कर ली गई तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के मामले में हमें पंचायती राज संस्थाओं से लेकर केन्द्र की सरकार के स्तरों तक निर्धारण करना पड़ेगा। उन को अधिकार देने पड़ेंगे उन की कार्य सीमा का विस्तार करना पडेगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे माननीय संसद सदस्यों को जो अपना लोकल एरिया डवलपमेंट फंड मिलता है इन सब के माध्यम से भी शिक्षा का विस्तार किया जाए और शिक्षा के साधन जुटाएं जाएं। मैं सदन से अपनील करुंगा कि वह इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार कर जो लोकल एरिया डवलपमेंट फंड के पैसे हमारे पास आते हैं, उस में से एक निश्चित मात्रा में, चाहे तो पचास प्रतिशत, शिक्षा संस्थाओं के काम के लिए लगाए जाएं। अगर यह फैसला किया जाता है तो हरेक कांस्टीटुएंसी में 50 लाख रुपया तो शिक्षा में काम के लिए उपलब्ध हो ही सकेगा। इसके लिए विचार किया जा सकता है और फैसले किए जा सकते हैं और इस पैसे का उपयोग जहां स्कुल्स नहीं हैं, वहां स्कूलों के लिए या जहां स्कूल में किसी चीज की कमी है ते उसे पूरा करने के लिए किया जा सकता है। उसकी नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। अभी उसमें रख रखाव के लिए पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, वह अगर की जाए तो बहुत सी बातें जो सनातन बिसि जी और लोग बता रहे थे, उनका निवारण और निराकरण हम कर सकते हैं। अगर हम ये कदम उठाएं और इस तरह से आगे बढ़े, तो मुझे भरोसा है कि शिक्षा के विस्तार में, शिक्षा को आगे बढ़ाने के काम को हम बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं।

सभापति जी, अभी एक बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सैलरीज के बारे में उठाया गया। अध्यापकों के बारे में कई सम्मानीय मित्रों ने यह बात कही। मैं सदन से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले मैं इस बात को साफ कर दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट क्या थी और उन्होंने उसको

कैसे हमारे सामने और देश के सामने रखा। मैं समझता हूं कि हमारी एच. आर. डी. स्टेडिंग कमंटी के सामने भी सारे तथ्य आ गए हैं। सब से पहले 13 जून, 97 को जो मीटिंग यू. जी. सी. की हुई थी, उसमें उन्होंने रस्तोगी कमेटी के वेतन के मामले में जो रिपोर्ट थी, उसको पूरे पूरे तौर पर स्वीकार कर लिया था। उन्होंने इसमें लिखा है कि:

> "Pay Scales of Teachers and Other Officers: The Pay Review Committee recommended Pay Scales keeping in view the revision as suggested by the Fifth Pay Commission and the relative position of teachers vis-a-vis other professions. In addition. Pay Scales for inter-unversity centres and other other organisations on replacement- basis were recommended".

> "The Commission accepted the recommendations with regard to the Pay Scales with the following observations".

वह कंडीशनलिटीज के बारे में है, लेकिन पेस्केल्स के बारे में इसमें नीचे कुछ नहीं लिखा। वह पे स्केल्स तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने अपनी एक रिवाइल्ड रिपोर्ट सामने रखी। मैं नहीं समझता कि इस तरह से जो पेस्केल्स स्वीकार कर लिए गए, उनको इस प्रकार से बदलने की कोई पद्धपि हो सकती है। अगर यू. जी. सी. का रस्तोगी कमेटी के साथ कोई मतभेद था तो वह पहले ही कहते कि हम इस से असहमत हैं और हम यह नई बात प्रस्तावित कर रहे हैं या कोई दूसरी कमेटी बिठाने की बात करते। आम तौर पर जब भी कभी कोई ऐसी पेरिवीजन कमेटी बैठती है यू. जी. सी. की, तो फिर उसकी रिकमंडेशंस में थोडा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन उसको आज निरस्त कर के उसको बिल्कुल हटा के, बाजू रख के नई स्कीम तजवीज करना कोई बहुत उचित बात नहीं है और शायद यह किया जाना हर तरह से अनुचित ही था। लेकिन हम ने अभी तक जो विचार किया था, उसके बाद कुछ पेस्केल्स की घोषणा की। फिर इसके बारे में विभिन्न अध्यापक संघों ने अपनी कठिनाइयां सामने रखीं जिन के बारे में विचार किया जा रहा है, सभी अध्यापक संघों के बात हुई है, यू. जी. सी. से बात हुई है और सभी राज्यों के सेक्रेटरी को बुलाकर बातचीत की है। उनकी कठिनाइयां समझीं हैं और अब उस पर विचार कर के कैबिनेट फैसला करेगी क्योंकि पहले वह कैबिनेट का ही फैसला था। हम फिर उसके सामने जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत जल्दी इस मामले में अंतिम फैसला कर लिया जाएगा।

सभापति जी, एक बात डा. रमेन्द्र कुमार यादव रवि की तरफ से उठायी गयी और उन्होंने कहा था कि बिहार में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को तन्खाहें केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तन्खाहों से कम हैं। हम तो यहां से पेस्केल की घोषणा करते हैं और पेस्केल की घोषणा की वजह से राज्य सरकारों पर जितना बोझ पड़ता है उसका 80 फीसदी पांच साल तक हम बराबर उनको देते हैं। अब राज्य सरकारें अपने यहां क्या करती हैं, कैसे इंप्लीमेंट करती हैं, उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। हमारा उद्देश्य यह होता है कि यह हमारे स्केल है और उसकी वजह से जो आप पर बोझ पड़ रहा है उसका 80 फीसदी हमने उनको दे दिया।

महोदय, बिहार में एक और स्थिति हो गई है, जो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि वहां 18,000 विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, ऐसा हमें बताया गया है। अब उसमें 14,000 प्रोफेसर्स हैं, 3,000 रीडर्स है और 1000 लेक्चरार हैं। यह पिरस्थिति बिहार के अंदर है। अब मैं नहीं जानता कि वहां की सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी और वहां के अध्यापक उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। यह मेरी समझ में भी नहीं आता।

प्रो. रामगोपाल यादव: अध्यापकों के तो लाभ है। वह क्यों छुटकारा चाहेंगे?

All of them would like to be professors.... *(Interruptions)...*

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी, बिल्कुल सही है, लेकिन वहां की सरकार अगर प्रोफेसर को लेक्चरर की तनख्वाह देंगे तो उसका क्या होगा? उनको तो उसकी तनख्वाह मिलनी नहीं।...(**व्यवधान**)...

DR. RAMENDRA KUMAR YADAV RAVI (Bihar): The Government had taken a decision and time-bound promotions were given to them. As a result of the time-bound promotion, they were promoted to the grades of professors, etc. This is the fact.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The fact of life is this.

यह कठिनाइयां हैं। आज तीन लाख से अधिक विश्वविद्यालयों के अध्यापक हैं, जो देश के विभिन्न कालेजों में बिखरे हुए हैं। राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं। बहुत हुए हैं। राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने तो 1986 के वेतनमान भी 1990 और 1991 में जाकर इंफ्लीमेंट किए थे और कुछ ने तो बाद में इंफ्लीमेंट किए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी अधिक से अधिक दिया जा सकता है, वह हम जरुर देने की कोशिस करेंगे।

महोदय, मैं एक बात की तरफ और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह एक वस्तुस्थित है, यह कि धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिक प्रतिभावान लोग थे, उनका आना काम हो गया है। कुछ राज्यों ने, विश्वविद्यालयों ने और कुछ संस्थाओं ने यह कठिनाई हमारे सामने रखी है कि अब क्वालिटी प्रोफेसर उनके पास नहीं टिकते। इस बात में वजन है क्योंकि बहुत से लोग मल्टीनेशनल या अन्य ऐसे उद्योगो की तरफ जा रहे हैं, जहां तनख्वाह अधिक पाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यह कठिनाई खास कर लोबोरोटरीज में रही है। इस ओर में माननीय सदन का ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले पांच या दस सालों में हमें प्रोफेसर भी इम्पोर्ट करने पड़ सकते हैं, जैसे कैपिटल इम्पोर्ट कर रहे हैं, टैक्नोलोजी इम्पोर्ट कर रहे है, इन्फ्रास्ट्रकर इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, वैसे ही हो सकता है प्रोफेसर भी इम्पोर्ट करने पड़ जाएं। इससे बचने की जरुरत है और ध्यान देने की जरुरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी स्थिति न बनने पाए। हम जिस इन्फ्रास्ट्रकर क विकास की बता कर रहे हैं वह तब तक नहीं बनेगी, जब तक कि उसके लिए प्रशिक्षित, क्वालिफाइड ट्रेंड हैंडस यहां नही होंगे और वह ट्रेंड हैंडस तभी होंगे जब कि क्वालिफाइड प्रोफेसर और वेल ट्रेंड प्रोफेसर वहां हों।

महोदय, मैं अभी यह रिपोर्ट देख रहा था। मुझे वह देखकर हैरत हुई कि यह परिस्थिति सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में भी आ गई है। अभी हमारे कुछ विशषज्ञ इंग्लैंड गए थे, उन्होंने वहां से आकर यह मुझे रिपोर्ट दी है, जैसे देखकर मुझे लाग कि यह एक कठिनाई न केवल हमारे देश में है बल्कि उन तमाम देशों में भी है, जहां मार्केट फोसेंज काम कर रही है। वहां अब कुछ विषयों के प्रोफेसन ही नहीं है, जिससे कुछ संस्थानो ने ऐसे विषय बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अध्यापक नहीं मिलते।

श्री एन. के . पी. साल्वे: सियासत में वह आ गए हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी हां, सियासत में आने के बाद ही वह इस हैसियत में आए कि इसको ठीक कर सकें। तो यह कठिनाई आ रही है और इसको देखना पड़ेगा कि शिक्षा केवल मार्केट फोर्सेज पर ही क्या चलेगी? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से सदन को विचार करना है कि क्या शिक्षा केवल मार्केट फोर्सेज पर ही छीड़ दी जाएगी या राष्ट्र को किस किस प्रकार की विधाओं और विद्याओं की जरूरत है, इस पर भी विचार किया जाएगा। अगर कोई भी विषय एक बार बंद कर दिया जाता है तो उसको फिर दुबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। बीसियों पच्चीसों साल लग जाने के बाद कहीं वह ग्रुप, हीं वह ट्रेडीशन बनते हैं, इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि हायर एजुकेशन के मामले को उसी गंभीरता से लें, जिसमें कि हम प्राइमरी एजूकेशन और एलीमेंटरी एजुकेशन के मामलों को लेते हैं। उसको इस तरह से कदापि न देखें कि यह इलीमेंटरी एजुकेशन है और यह हायर एजुकेशन है। अगर एलीमेंटरी एजुकेशन नहीं होगी तो हायर एजुकेशन कौन पढ़ेगा? हायर एजुक्शन वाले लोग नहीं होंगे तो नीचे पढाएगा कौन और देश का विकास कौन करेगा? इसलिए इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर एक आम सहमति बनाकर हमें अपने देश की नीतियों का फैसला कर लेंगे, उतनी ही जल्दी देश का भला होगा।

एक सवाल उठाया गया था कि जो सैक्शन्स आज कल लग रहे हैं, उसका असर हमारे देश की शिक्षा पर क्या पडेगा? इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो कंटीन्यूइंग स्कीम्स हैं, जिनमें कि हम पहले से पैसा लेते चले आ रहे हैं और वे चल रही हैं, उनमें तो अभी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो स्कीम्स बंद हो गई है और उनको आगे चलाने का सवाल हो या हम नई स्कीम्स शुरू करें, उसके बारे में देखना पड़ता है कि उन सरकारों का या उन संस्थाओं का क्या रुख होगा, वे हमारे साथ कोई लेन देन करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन एक बात हम समझे कि हमें यह कोई मदद नहीं है, छूट नहीं है, वह कर्जा है सीधा सीधी, फर्क यह है कि वह 4 परसेंट पर मिल रहा है, 3 परसैंट पर मिल रहा है। अगर हमें शिक्षा देनी है और हमें पैसा उधार लेकर देनी है तो हम अपने बाजार से भी पैसा उधार ले सकते हैं, हम विदेशी बाजार से भी पैसा उधार ले सकते हैं, हम विदेशी बाजार से भी ले सकते हैं अगर हमें उधार ही लेना है

आज 4 परसेंट पर मिल रहा है, ये नहीं देंगे तो सूसरा कोई 6 परसैंट पर देगा, 8 परसैंट पर देगा, लेकिन इन स्कीम्स को हम बंद नही होने देंगे। शिक्षा के काम के लिए हमें चाहे जो कुछ करना पडे, हम करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबको मिलकर पूरे साधन जुटाने पड़ेंगे। किसी और जगह देश कमजोर रह सकता है लेकिन इस मामले में नहीं रह सकता। अगर ज्यादा ब्याज भी देना पड़ा तो हम देंगे लेकिन शिक्षा की स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इन सभी स्कीम्स में एक ने एक जगह हम इंडिजनैंस कम्पोनेंट्स की भी शुरूआत कर रहे हैं। कोई स्कीम ऐसी न रहे जो शत प्रतिशत विदेशी मुद्राओं पर या विदेशी उधार पर निर्भर करती हो, हम एक प्रतिशत निर्धारित करेंगे कि कम से कम इतना हम अपने साधनों से अवश्य लगाएंगे ताकि आगे अगर कभी दिक्कत पडे तो हम उसका विस्तार कर सकें और हम प्लानिंग कमीशन से यह बात कहता चाहते है कि इन स्कीम्स के बारे में विचार किया जाए तथा ये किसी भी हालत में बंद नहीं होने दी जानी चाहिए।

एक और समस्या की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकृष्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उस पर हमें गहराई से विचार करना है। शिक्षा के क्षेत्र में पैसे के आभाव के कारण कुछ राज्य सरकारें अब सीधे ही इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बातचीत कर रही है, उसकी इजाजत पिछली सरकारों ने उन्हें दी है। राज्य सरकारें बात करें लेकिन उन बातचीतों का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, दिशा निर्देश क्या होने चाहिए? अगर कोई विदेशी एजेंसी यह कहती है कि आप अगर शिक्षा का कार्यक्रम चलाने के लिए पैसा चाहते हैं तो आपको इक्नॉमिक रिस्ट्रारिंग भी करना होगा, अगर यह सवाल कोई रखे त क्या हमें ऐसी स्कीम्स माननी चाहिए? क्या शिक्षा में हमारी पैसे की कमी को हम इस आधार पर दूर करने के लिए तैयार हो जाएं कि केन्द्र सरकार से बिना बात किए ही राज्य सरकारों को यह हक दे दिया जाए कि वे अपने यहां कैसा भी रिस्ट्रकरिंग कर लें? कल को इसमें से वह बात उठेगी कि आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम पैसा देंगे लेकिन आप अपने राज्य की फूड हेबिट्स बदलवाएं, करना हम स्कीम्स विदड्रा कर लेंगे और क्या राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइंस के बगैर, बिना उनसे पूछताछ किए और जो केबिनेट में तय की हुई नीतियां हैं, उनसे बाहर जाकर इस तरह के समझौते करने की सुविधा मिलनी चाहिए? ये सवाल मेरे सामने उठते रहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हम शिक्षा के लिए पैसा जरुर लें लेकिन हम अपने स्पाइन को भी जरा मजबूत रखें। हम कन्वीस कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन राज्य सरकारों ने इस बारे में थोडी चौकसी रखी है और थोडा सा अपने आपको ठीक ढंग से पेश किया है, वहां ये विदेशी एजोंसियां हमारी शर्तों पर पैसा देने के ले तैयार हुई है. तो मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं इस पर देश को फैसला करना है, सभी पार्टियों और सभी लोगों को फैसला करना है कि किस हद तक शिक्षा के मामले में हम विदेशी रुपया लाएं, किन शर्तों पर लाएं, कैसे लाएं और इस बारे में एक आम राय बननी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री सनातन बिसि जी ने उड़ीसा के बारे में बहुत सी बातें कही थीं, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह तो उनको राज्य का मसला है। हम राज्य सरकार को केवल सलाह दे सकते हैं और आपने जो कठिनाइयां बताई हैं, उनको हम वहां सरकार के पास भेज देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि संवैधानिक रूप से हम किसी सरकार को कुछ कदम उठाने या न उठाने के ले मजबूर नही कर सकते। आगर फिर हम कोई एजुकेशन की टीम भेज भी देंगे तो हमारे दोस्त सलीम साहब तत्काल उस पर आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि यह टीम आपने कैसे भेज दी? मैं समझता हूं कि इस मामले में हम उनको अवश्य अवगत करा देंगे कि यह सवाल उड़ीसा के बहुत से स्कूलों के बारे में आपने रखा हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि जो सम्मानित सदस्य उड़ीसा की विधान सभा में है और उड़ीसा के अन्य लोग हैं, वे उड़ीसा सरकार से मिलकर इस बारे में विचार करें।

महोदय, श्री राम नाथ गोविन्द जी न एक बहुत ही महत्वपूर्ण मद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था और वह यह था कि कि कम से कम एलिमेंटरी स्कूलों में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके सामने शौचालयों की बड़ी कठिनाई रहती है। प्राथमिक विद्यालयों की समस्या एक प्रकार की है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बालिकाओं की उम्र बढ़ती है तो उनके बाद जैसे जैसे बलिकाओं की उम्र बढ़ती है तो उनके सामने प्राइवेसी का भी सवाल उठता है। पांचवीं कक्षा तक के लिए कुछ प्रबंध विद्यालयों में है लेकिन एलीमेंटरी स्कूल्स के लिए कठिनाई उन्होंने बताई है जो जायज है और वाजिब है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करने जा रहे हैं कि वे इस तरफ ध्यान दें लेकिन जैसा मैंने बताया कि जे. आर. वाई. रूरल सैनिटेशन, इम्पलॉयमेंट इंश्योरेंस और एम. पीज के फंइज इनमें से कुछ पैसा निकालकर हम फेज्बाईज कुछ व्यवस्थ करते चोले तो इस समस्या का निदान किया जा सकता है। यह बहुत महंगा भी नहीं है, कुछ हजार रुपए

में हम यह सुविधा दे सकते हैं। कहीं अगर कम्युनिटी की ओर से सुलभ शौचालय का प्रबंध किया जा सकता है, तो वह हमें करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी ओर कोविन्द जी ने ध्यान आकर्षित किया है और मुझे उम्मीद है कि सारा सदन इससे सहमत है।

श्री दत्ता जी ने यह कहा था कि हमारा बजट बॉयस्ड है हॉयर एजुकेशन की ओर लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुल बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक शिक्षा और एलिमेंटरी की तरफ बायस्ड नहीं है। बल्कि उल्टे यू. जी. सी. की वह शिकायत है कि उनका फंड तो घटता जा रहा है और विश्वविद्यालयों की बहुत कठिनाइयां हैं, जिनको वे हल नही कर पा रहे हैं। चूंकि प्राथमिक शिक्षा और ऐलिमेंटरी शिक्षा देने के लिए संविदान का निर्देश है, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा मुख्य दायित्व है। हॉयर एजुकेशन में तो हमें केवल एक्सलेंस का विचार करना है और गुणवित्तार अच्छी हो, इसका ध्यान रखना है। हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकारों से मिलकर और यू. जी. सी. से मिलकर ऐसे केन्द्रों का चयन करे जो एक्सलेंस की ओर बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले दिनों में ऐसी कई स्कीम्स थीं जो शायद अब बंद हो गई है। हम उनको फिर से चालू करेंगे नए परिप्रेक्ष्य में और मेरा विश्वास है कि हम ऐसे एक्सलेंस के केन्द्र देश भर में बना सकेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों से बात हो रही है, उद्योगपतियों से भी बात हो रही है।

महोदय, मैंने उद्योग, शिक्षा तथा विज्ञान की टेक्नोलोजी इन तीनों को मिलाकर शिक्षा और विज्ञान की औद्योगिक नीति, इस पर विचार करने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों से इस बारे मे बात हो चुकी है, उद्योगपतियों के कुछ संगठनों से बात हुई है और वे भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब केवल यूनिवर्सटिज के बाईस चांसलर्स और यू. जी. सी. से बात करना शेष है। उसके बाद में एक बड़ी समिति बनाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिससे उद्योगों से धन विश्वविद्यालयों में, टैकनीकल इस्टीट्यूशंस में, प्रौद्योगिक संस्थानों में आएगा। महोदय, साईस इंस्टीट्यूशंस में, प्रौद्योगिक संस्थानों में आएगा। महोदय, साइंस इंस्टीट्यूशंस और सी. एस. आई. आर. की परयोगल शालाएं और अन्य संस्थान टेकनोलोजी का विचार करेंगे और शिक्षा संस्थाए उन्हें आवश्यक मैन पावर देंगी और साइंस और टेकनोलोजी इसकी बोनिफिशियरी होंगी, इसलिये वे इसकी फंडिंग करेंगी। यह स्कीम आपके सामने आएगी और आप सब लोगों के सहयोग से हम इसको चलाएंगे।

महोदय, हमारा उद्देशय यह है कि हम प्लानिंग कमीशन से और बाकी लोगों से बात करेंगे कि आने वाले 10-15 सालों में हिंदुस्तान की प्रगित का आधार क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमे हमारे उद्योगपति आगे आना चाहते हैं, उसके लिए कितनी टेक्नोलाजी हम देश में उपलब्ध करा सकते हैं, इंडस्ट्री में उपलब्ध करा सकते हैं, कितनी मैन पावर की जरुरत है, इन सबका विचार हम करेंगे।

इसी तरह से पोलिटेकनिक, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और सेकेंडरी स्कुल्स इन पर विचार आने वाले दिनों में अलग अलग ढंग से होगा ताकि वोकेशनलाईजेशन हो सके, रोजगार मिल सके और शिक्षा संस्थानों को पैसा मिल सके। यह वह रास्ता है जिसमे पार्टिसपेशन ऑफ कम्यूनिटी इन एजुकेशन हो सकेगा औऱ किसी एक के हाथ में शिक्षा का नियंत्रण नहीं रहेगा।

महोदय, डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में एक बात कही गई थी और मैं आपको विनम्रता से सचित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो नेशनल एजेंडा फार गवर्नेस है, उसमें डिस्टेंट एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने एक टास्क फोर्स बनाया था इनफार्मेशन टेकनालाजी के लिए । उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री जी को सौंप दी, उसके पश्चात वह रिपोर्ट अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास विचारार्थ है और वहां से उसको अंतिम रुप दिया जा रहा है। हमारा यह निश्चित मत है कि इनफार्मेशन टेक्नालाजी हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बने क्योंकि आने वाले भविष्य में इनफार्मेशन टेक्नालाजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की आर्थिक प्रगित में करेगा। जिस मात्रा में हम आज अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे है, वह बड़ा सराहनीय है और इसमें एक्सपोर्ट की बहुत भारी गुंजाइश है। ज्ञान को समृद्धि में बदलने का यह एक मार्ग है। इसके लिए आवश्यक इनफ्रास्ट्रकचर का भी हम अध्ययन कर रहे है और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश में ऐसे केन्द्र बनें जिनमें इनफार्मेशन टेक्नालाजी का अधिक से अधिक पठन पठान कराया जा सके और उसका उपयोग शिक्षा के माध्यम से भी किया जा सके। इनफार्मेशन टेक्नालाजी की माध्यम से हम दूर दराज के क्षेत्रों को भी शिक्षित कर सकते हैं। इसमें यह जरुर है कि शुरु में कुछ इनवेस्टमेंट अधिक होगा लेकिन उसका आगे चलने वाला इनवेस्टमेंट जो है वह बहुत कम हो जाता है । तो जैसे ही उसका खाका बन जाएगा , हम आपको सूचित करेंगे। कुल मिला कर शिक्षा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसकों हम स्पर्श न करें।

एक बात स्पोट्‌र्स के बारे में कही गई थी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस बार हमने यह निश्चित किया है कि बीस विद्यालय केवल स्पोट्‌र्स के लिए हम देश में बनाएंगे। वे स्पोट्‌र्स स्कूल होंगे। बीस विद्यालय चलाएंगे और उनका पठन पठान स्पोट्‌र्स के तौर पर होगा। उनका पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा भिन्न होगा औऱ उसके बाद हम जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्‌स हौ उनसे जो कारपोरिट हाउसेज हैं उनसे, रेलवेज से, इन सबसे यह अनुरोध करेंगे कि इन स्पोट्‌स के खिलाड़ियों को वे अपने यहां निश्चित रुप में नौकरियां प्रदान करें और जैसा कि आज है कि जब वे संस्थाएं उनको स्पान्सर करेंगी तो उनका प्रचार भी होगा। एडवर्टाइजमेंट्‌स का खर्चा भी वे इस रुप में कर सकते हैं और इस तरह से देश में अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण कर सकते हैं। राज्यों के साथ मिलकर हमने यह फैसला किया है कि वे हमें बताएंगे कि किन किन खेलों में वे विशेषत प्राप्त करेंगे, स्पेशालइज करेंगे? यह जरुरी नहीं है कि हर विद्यालय हर खेल में स्पेशलाइज करे। कुछ जिम्राज्म में कर सकते हैं, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, कुछ हाकी के. कुछ फुटबाल के। बंगाल में फुटबाल की एक बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है , केरल में भी है। इसी तरह से कुछ क्षेत्र हैं जहां क्रिकेट की बहुत अच्छी परंपरा है, कुछ के यहां हाकी की बहुत अच्छी परंपरा है। तो हम कोशिश यह करेंगे कि इन क्षेत्रों के सामने यह लक्ष्य रखा जाए कि उन्हें अमुक औलम्पिक में या अमुक एशियाड में अपने आप को वहां अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर परफार्म करके दिखाना है और स्वर्ण पदक प्राप्त करके लाना है। एक इस भावना के साथ हम इस सारी शिक्षा को वहां शुरु करना चाहते हैं और राज्यों से यह बात चल रही है कि वे अपने यहां स्कूलों को आईडेंटिफाई करेंगे और उसके आधार पर फिर एक ऐसी अच्छी योजना स्पोट्‌र्स के लिए बनाएंगे । यह सुझाव भी हमने राज्य सरकारों को दिया है अभी जो मंत्रियों की बैठक हुई थी कि हर स्कूल को खेल के मैदान से जोड़ा जाए। बहुत से स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं है लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिनके पास है। तो यह व्यवस्था की जा सकती है और की जानी चाहिए कि हर स्कूल को जिसके पास मैदान है, उसके साथ चार-पांच वे स्कूल जोड़ दिए जाएं जिनके पास मैदान नहीं हैं। खेल के मैदान का बंटवारा ऐसे किया जा सकता है कि सप्ताह में इतने दिन इस स्कूल के लिए उपलब्ध रहेगा या इतने बजे से इतने बजे तक उसके लिए उपलब्ध रहेगा। गांवों में बी दो तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर की दूरी पर ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकें तो वह की जाएं, यह इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयत्र है कि खेल के मामले में भारत की जो पूरी क्षमताएं हैं, उसका विकास किया जाए। यह भी कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां हमें उत्तम कोटि के खिलाड़ी मिलते हैं, उनमें इसकी तरफ ज्यादा ध्याना दिया जाए और कुछ न कुछ स्कूल हम उन क्षेत्रों में ही आईडेंटिफाई करके चलाएं।

श्री सभापतिः देखिए मंत्री जी, एक मिनट रह गया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: बस, मैं एक मिनट में ही पूर कर दूंगा।

श्री एन.के.पी. साल्वेः एम.पीज.फंड हम लोग स्पोट्‌र्स के लिए लगा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था कराएं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी हां, लगा सकते हैं। खेल के मैदान के लिए तो लगा ही सकते है।

1.00 P.M.

और कहीं पर खेल का भवन बनाना हो, उसके लिए लगा सकते है। खेल का भवन बना सकते हैं, खेल के मैदान के लिए।.....(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल)**:** जोशी जी, एच.आर.डी. कमेटी की रिक्मेंडेशंस स्पोट्‌र्स के बारे में थी कि अर्बन एरिया में खेल के मैंदान बहुत कम हैं तो सैंट्रल गवर्नमेंट की जो ऐजेसिज हैं- रेल, पोर्ट, डिफेंस, उनके पास जो ऐडिशनल लैंड हैं, वहां नयी कंस्ट्राक्शन नहीं करके क्या उसे आप खेल के लिए प्रीजर्व कर सकते है?

†(**شری محمدسلیم:** جوشی جی،ایچ-آرڈی-کمیٹی کی ریکمنڈیشنس اسپورٹس کے بارے میں تھی کہ ارین ایریا میں کھیل کے میدان بہت کم ہیں توسینٹرل گورنمنٹ کی جوایجنسیز ہیں، ریل پورٹ،ڈفینس،ان کے پاس جوایڈشنل لینڈ ہے،وہاں نئی کنسٹرکشن نہیں کر کے کیاا سے کھیل کے لئے پریزروکرسکتے ہیں؟}

†[ ]Transilteration in Arabic Script

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra):-I have a small question to put. I was under the impression that after his speech is over, then possibly we can put some questions. There is one question about which I would like to keep the record straight because you have made a reference to the Standing Committee. That was about the controversy of the Rastogi Committee and UGC's recommendations later on. In order to make matters very clear, in fact, I have gone thoroughly into the entire thing and the Rastogi Committee was not the final-word which the UGC had recommended. That is the only point which, I thought, I should make. In order to keep the record straight, this should be brought on record.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I had said that UGC had accepted the Rastogi Committee's recommendatins initially.

SHRI S.B. CHAVAN: That is not a fact.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That is a fact. I can read it from the letter.

डा. मुरली मनोहर जोशी (दिल्ली)**:** इस पर भी हम विचार करेंगे औऱ रेलवे मंत्रालय से बात करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री जी, जो खेलों के मैदान बना सकते हैं, खेल के लिए बिल्डिंग बना सकते है पर खेलों का सामान आज नहीं रख सकते हैं। जिम का सामान-बॉडी बिल्डिंग का, वेट लिफ्टिंग का- कुछ नहीं रखा जा सकता है। अगर आप उसे स्वीकार करें कि सभी सदस्य एक एक जिम अपने एरिया में बना दें तो हिंदुस्तान भर में आठ सौ जिम बन सकते है।

श्री एन.के.पी. साल्वे: मंत्री जी यह भी स्पष्ट कर दें। भवन बना सकते है पर मैदान नहीं बना सकते। इसको कृपा करके स्पष्ट कर दें। यह ठीक कह रहे हैं। अगर सामान नहीं दे सकते तो खेलेंगे कि चीज, से? ....(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह –सूर्य- (उत्तर प्रदेश)**:** जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको नहीं दे सकते । अगर इस चीज की व्यवस्था हो जाए तो शिक्षा में बहुत काम होगा।

SHRI S.B. CHAVAN: I have gone through the letter.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I can place it on the Table. 1 have read it and I can again show it and place it on the Table of the House if the hon. ...*(Interruption)*

डा. (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: स्माल स्केल इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर एम.पी.प्रांट रखें....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Have you finished so that they can ask questions? Clarifications they have Sought.

DR. MURLI MANOHAR.JOSHI: I will take two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Let him finish, then questions can be asked.

डा. मुरली मनोहर जोशी: महिलाओं के बारे में एक क्षेत्र और रहता है। This is an area which is under my Department.

डा. (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: सर, मेरा प्रश्न अलग था।

श्री सभापति: अभी वह खत्म कर लें, उसके बाद पूछिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमारे इस मंत्रालय के साथ महिला कल्याण और मिहलाओं के कार्यक्रमों के बारे में भी एक विभाग है औऱ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे महिला कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रमों की अंतर्राष्ट्रीट स्तर पर भी सराहाना की गयी है। उदाहरण के लिए महिला समाख्या। इसके लिए 1998 की हयूमैंन डैवलपमेंट इन साउथ एशिया जिसकी उस दिन आपके प्रश्न में चर्चा हो रही थी। मैने इसलिए एक लाइन ही नहीं पढ़ी थी, पूरा बाक्या है। कहते हैं कि Mahila Samakhya was launched in 1989 in ten districts, in three States as a women's empowerment project. The objective was to empower women through education to bring about a change in women's own perception about themselves and about their society. The strategy of M,S. has been the recognition of the centrality of education, information and knowledge, delivered through various tiers of women's groups at different layers of administrative units, from villages through districts to State levels. Women

are organized at various levels to deliver services,,to provide resource support and to supervise. The unique strength of the project is its flexible response to the felt needs of women in different districts. A large part of the M.S. education is effective application of information and knowledge. Redressal camps are organized in which an environment is created to motivate women to acquire literacy. The M.S. workers at village level take part In the selection, appointment and monitoring of teachers, who are trained in the M.S. philosophy. M.S. has established Mahila Shiksha Kendras' which are residential schools, where girls and women can stay away from home for at least three months at a time to study.

इस आधार पर विभाग ने जो कुछ योजनाएं चलाई हैं, उनमें इस योजना की काफी सराहाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गयी है। सांस्कृतिक क्षेत्र भी इस विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्रालयं के अंतर्गत आता है और अनेक संस्थाएं इसके द्वारा चलाई जा रही हैं लेकिन मुझे यह भी अनुरोध संस्कृति के बारे में करना है कि जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो हमारी हैरीटेज हैं क्योंकि कल न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ ने फंडामैंटल डयूटीज के समय यह बात बतायी थी।

हमें अपनी गौरवशाली विरासत का संरक्षण करना है, हैरीटेज को बचाना है, प्रमोट करना है। हमारे साहित्यकारों का औऱ सांस्कृतिककर्मियों का, रंगकर्मियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका हमें विकास करना है और श्रीमती वीणा जी ने कल इस मामले में सुझाव दिया था। उसमें से यह बात मैं समझता हूं कि सदन स्वीकार करेगा कि अगर हम बच्चों के लिए भी एक राष्ट्रीय कमीशन बनाएं, नेशनल कमीशन फार चिल्ड्रन बनाएं? यह बहुत अच्छी बात होगी और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हम शीघ्र ही एक राष्ट्रीय कमीशन फार चिल्ड्रन बनायेंगे।

सांस्कृतिक क्षेत्र हमें अपने देश की धरोहर की रक्षा करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। हमारे देश में विशाल पैमाने पर प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन इमारतें मौजूद हैं। यूरोप में आप जाएं तो बहां दो सौ, तीन सौ साल पुरानी कुछ इमारतें या स्मारक हैं, उसी को सजा संवारकर टूरिस्ट केन्द्र और पता नहीं उसका कितना प्रचार करते हैं। हमारे यहां तो हजारों साल पुराने बहुत से भव्य स्मारक हैं जिनका हमे लाभ उठाना चाहिए। उनका रख-रखाव एक तरह है उनका सौन्दर्यीकरण दूसरी तरफ है। हमारे यहां उत्खनन मे काफी चीजें मिल रही हैं जिनसे हम कई प्रकार के म्यूजिक बना सकते हैं, उत्खनन की चीजों के अगर हम प्रिजर्व करें तो अनेक स्थानों पर हम बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बना सकते हैं। कुछ संग्रहालय हमारे यहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ संग्रहालयों को राय दी गई है और कुछ संग्राहलयों नें उसमें काम भी शुरु किया है। उनको हमारे बहुत से प्राचीन अवशेष मिले हैं जो सुन्दर हैं, बहुत सी मूर्तियां मिली हैं, कला मूर्तियां मिली हैं। अगर उनको रेपिलिकेट करें, उनको दुबारा बना दें, टेराककोटा में बना दें या मिट्टी में बना दें और लोगों को भी बेंचे तो बहुत से लोग उन्हें अपने घरों में सजाने के लिए ले जाएंगे और बहुत से होटल्स में उनकी अनुकृति रखी जा सकती है। इस तरह से म्यूजियम्स को थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। कुछ सरकार उनकी मदद करेगी। अगर सांस्कृतिक द्दष्टि से देश में गतिविधियां शुरु हों तो हम अपने देश की इस विरासत के लिए भी कुछ पैसा इकटठा कर सकते हैं और इसका प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं जो लोगोज बनाती हैं। वह अगर इन हमारी प्राचीन कलाकृतियों के लोगों बनाएं औऱ उसका ठीक ढंग से सम्प्रेरण करें तो बहुत अच्छा होगा। पिक्चर्स कार्ड हमारे कुछ संग्रहालय बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे जब भी किसी संग्रहालय में जाएं तो उन पिक्चर्स कार्ड को देखें। एक योजना इस प्रकार की बनाने का विचार है।

SHRl MD. SALIM: Make it available in Parliament.

डा. मुरली मनोहर जोशीः जी, वह करेंगे। हम सभी संग्रहालयों के लोगों से इस संबंध में बात कर रहे हैं कि ऐसी एक योजना बनाई जाए। लेकिन सांस्कृतिक विभाग के साथ अन्याय होता है उसको बहुत कम पैसा दिया जाता है। इसलिए हम बहुत से रंगकर्मियों को, साहित्यकारों को जो देना चाहते हैं, वह नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी इस साल जो हमारे साहित्यकार हैं जो कलाकार हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी जो इंडीजेंट कंडीशन में रहते थे उनकी क्षात्रवृति की संख्यां को बढ़ा दिया है, उनका क्वांटम हमने बढ़ा दिया है और उसको डेढ़ हजार के स्थान पर दो हजार रुपया प्रति मास कर दिया है । जो क्वालीफाइंग लिमिट थी उसको भी हमने घटा दिया है जिससे कि हम ज्यादा लोगों को इसे उपलब्ध करा सकें। हम यह कोशिश कर रहे हैं, हमारी यह इच्छा है कि हम इन सभी

कलाकारों को जो अब अशक्त हो गए हैं, वृद्व हो गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन कला की साधाना में किताब है, उन्होंने धन तो कमाया नहीं है तो कम से कम उनकी वृद्वाचस्था में उनकों कुछ हम सहायता दे सकें। इसका प्रयत्न हम कर रहें हैं। ऐसी तमाम योजनाएं और कामों को लेकर यह मंत्रालय आपको सामने है। मेरा फिर आपसे अनुरोध होगा कि आप सब मिलकर के एक आम राय के साथ देश की शिक्षा नीति के बारे में और शिक्षा की बजटिंग के बारे में फैसला करें और सब मिलकर उसको क्रियान्वित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): Mr. Chairman, the hon. Minister has drawn the attention of the House to the fact that our universities and institutes of higher learning are not attracting teachers of quahty. It is essential that they ought to attract them in order to maintain the standards of excellence and competence which this country needs.

In this context, I was disappointed with what the Minister has said about the controversy that has arisen with regard to the salaries of university teachers. I was particularly sad that the Minister has sought to enter into a controversy and to undermine the authority of such an august body like the University Grants Commission. Even at this late hour, I would urge the Minister to go into the problems of university teachers and not to approach these problems by asking whethe'r the UGC has the authority or not. The UGC is an authority charged by the statute with the work of looking after the standards of education in our country. Therefore, the UGC's word deserves a greater attention than what has been shown by the Government. I, therefore, urge the Government to resolve the problems of the pay-scales of university teachers without loss of any further time.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): My questions are brief and small.

One is that I really appreciate the scheme of. cost-effective education and the idea of giving some money to our students for teaching. My question is whether the Ministry has given some thoughts on how these young men will be selected and how their work will *be* monitored.

Number two is that the hon. Minister has mentioned that a very important committee will be formed under Justice Verma and others. I could not quite follow all the names. But, if I am not wrong, there is no woman on that committee. Gender sensitisation has to be done from the school level.

Thank you.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Chairman, Sir, with your kind permission, I have only one small submission for favour of consideration of the hon. Minister of HRD. We are talking of university education, higher education and excellence in education.

MR. CHAIRMAN: What is your question? What clarification do you want?

DR. M.N. DAS: The clarification I want is this. There is some discrimination among States in respect of universities and excellence in university education because some States have more than one Central university while some other States have been denied a Central university for all the fifty years. Sir, a resolution was passed by the Vice-Chancellors' Conference in 1984 that every major State of the Indian Union should have one Central university so that they can think of higher studies and higher research. But, nothing has been done so far, though the State of Delhi has three Central universities.

डा. (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात)**:** सर, बड़ी खुशी की बात है कि आपने हयूमन ड्यूटीज के बारे में कमीशन बनाना तय किया है। आपने कमीशन के नाम भी दिए हैं लेकिन इनके टर्म्स आफ रिफ्रेन्स कितने टाइम बाउन्ड में ये रिपोर्ट देंगे, यह स्पष्ट हो तो अच्छी बात है।

आपने सस्ती शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। यह भी बड़ी खुशी की बात है और हमारे गरीब देश में इसकी जरुरत है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान होगा

कि टेक्नीकल कोर्सेज, प्रोफेसनल कोर्सेज , आर्ट, साइंस, कामर्स कालजे शुरु करने में भी यूनिवर्सिटीज द्वारा या टेक्नीकल बोर्ड द्वारा बीस-बीस लाख की रकम डिपॉजिट पर ली जाती है, मकान अलग, जमीन अलग, साधन सामग्री अलग तो करोड़ दो करोड़ के बिना कोई संस्था खड़ी ही नहीं हो सकती है।

सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि क्या यह डिपॉजिट कम करने के लिए सूचना डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को दी जाएगी? आपने प्राइमरी टीचिंग के बारे में यूनिवर्सल एलिमेंन्ट्री एज्युकेशन का जिक्र किया है लेकिन जिन परिस्थितियों में वह चल रही है उसमें न साधन है, न टीचिंग एड है औऱ सबसे खराब स्थिति प्राइमरी एज्युकेशन टीचर्स की है। क्या आप इनको अप ग्रेड करने के लिएकिसी कमीशन की रचना करने के बारे में सोच रहे हैं?

आपने स्पोर्टस को बढ़ावा देने के लिए जो सजेशन्स दी है...क्या एम.पी. ग्रांट्स में भी यह रकम दी जा सकती है। अगर एम.पी. 50 प्रतिशत शेयर इसमें या जिमनजियम या इनफ्रास्टकच्र खड़ा करने के लिए देगा तो क्या स्पोर्टस कौंसिल ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूर करेगा और दूसरा 50 प्रतिशत वहां से देगा? होता यह है कि हम तो यहां से ग्रांट दे देते हैं लेकिन आपको यहां से मंजूरी नहीं आती है और रकम लैप्स हो जाती है। जो 100 परसेंट टेक्स एग्जेंम्पशन विदड्रा था, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया? इसके बारे में मैं आपको क्या कहना है?

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Sir, I would seek clarifications on just three issues.

(1) Yesterday in my statement I had indicated that there are 32 million young people of this country, who are not able to go to schools. I would like to know if there is any contingent plan the Government has thought of to deal with the enormity of the problem.

(2) Yesterday also I raised this issue *viz.* whether there is any minimum contingency plan for universalisation of education and a plan for a mass campaign. The hon. Minister has not responded to that issue.

(3) The hon. Minister has dealt with education at the micro-level. Would he like to make a statement on how he would deal with these problems at the macro-level? If so, how soon would he make a statement?

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश)**:** सभपति जी, मैं उस मूक श्रोता की तरह मंत्री जी का बयान का बयान सुन रहा था और अपनी तरफ से मैं यह स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। डा. मुरली मनोहर जोशी जब सांसद की हैसियत से इधर बैठते थे कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि इलाहबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। यह बात अनकही रह जाएगी अगर इसका जवाब माननीय मानव संसाधन मंत्री बनने के बाद जोशी जी नहीं देते हैं। अब इनको क्या दिक्त पड़ रही है, इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाता है?

श्री सनातन बिसि (उड़ीसा)**:** मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक का एक पब्लिकेशन आया है, उस पब्लिकेशन में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, इस पब्लिकेशन में क्या चीज लिखी गई है?

संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश)**:** सभापति जी, शोषित, दलित पीडित, गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, गिराया जा रहा है, शिक्षकों की रुचि कम हो रही है, उनकी उपस्थिति भी कम है। इसलिए उनका स्थान पब्लिक स्कूल ले रहे हैं। क्या मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे? इन पब्लिक स्कूलों में गरीब लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या इन सरकारी स्कूलों का स्तरा ऊपर उठाया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि शिक्षकों की रुचि इसमें बढ़े?

DR. (MS.) p. SELVIE DAS (Nominated): I regret very much that I could Tiot participate in the discussions yesterday. However, I am happy that the Hon. Chairman has given me an opportunity.

MR. CHAIRMAN: Not for speech. Ask only questions,

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: Sir, one teacher one school are still in existence. I am sorry I do not have the figures at the moment, but I do want this state of affairs in the rural areas. They should be removed.

Secondly, we have to concentrate a little more on value-based education, particularly at the primary and secondary level. If values are inculcated at the initital stages of education, we will have better citizens in future.

I do agree that our teachers are having problems. Dr. Manmohan Singh has said that we should consider their problems. But, Sir, teachers are comparatively getting a better salary from what they were getting before. My point is when the UGC says better salary for the teachers, it becomes as gospel, but when it talks about standards and merits, they are considered only guidelines. You can take it or leave it. NET examinations are not taken up seriously in all the States of the country. All the Universities, when they recruit teachers, should $ee to it that the teachers take the stipulated examinations.

Hon. Members have said about the Central Universities. Only certain States have central universities. Every state should have one central university at least.

MR. CHAIRMAN: This is not a debate. You can seek only clarifications.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: I would like to submit only one more point.

MR. CHAIRMAN: You are not making points.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: I would like to make a point on what the Hon. Minister of HRD has said. I would like to express my appreciation for the National Commission that he is going to constitute for children.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Shri Nagendra Nath Ojha.

Please seek only clarifications.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा(बिहार)**:** ग्रामीण इलाकों में पुस्तकाल्यों की स्थापना की जो स्कीम थी उसके बारे में मंत्री जी को बताना चाहिए कि यह सरकार कब तक टेक अप कर रही है या नहीं कर रही ह? लागू करने जा रही है या लागू नहीं करने जा रही है? आई.सी.एच.आऱ. का जो रौजन्ल सेंटर बैंगलौर में कायम हुआ औऱ पुरानी बिल्डिंग पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च होने की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में मंत्री जी क्या कोई जांच करा सकेंगे और आई.सी.एच.आर. के कर्माचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने की बात को वे स्वीकार करते है. या नहीं करते है। फिर एम.पीज. स्कीम के अंतर्गत स्कूलों के भवन या स्पोर्टस गैलरी या दूसरे भवन बनाने की बात उन्होंने की। पिछले मिनिस्टर बोम्मई साहब ने सभी सांसदों को पत्र लिखा था। मैं अपने बारे में कह सकता हूं औऱ दूसरे सासंदों की भी अनुभव होगा कि एक साल 20 लाख रुपए स्कूल भवन निर्माण के लिए दिए गए और दी तीन साल हो गए वह पूरा नहीं हो पा रहा है । तो क्या एम.पीज. के साथ आप इस बारे में बैठक करेंगे कि जिनको दूर किया जाए। उनमें क्या दिक्तें आ रही हैं जिनको दूर किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है। फिर आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मानीटिरिंग के सिस्टम को स्ट्रेंग्थेन करने के बारे में एशयोर करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बारे में भी क्लैरीफिकेशन दें।

श्री सभापति: बस हो गया । श्री रहमान खान।

Please put only questions.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, on the three points that I have raised, answers ha\e not been given by the Minister. Why is there less allocation for elementary education? Though the Fbance Minister has said in his Budget speech that 50 per cent increase has been made in the allocation for educaiton there is only 8 p6r cent increase ...*(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN: If every Member has to be given a chance, then, I think we will have another debate.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Number two, I had raised about article 30. What I the stand of the Government wilh regard to this article? I would like <*o* know whether any instruction have been issued to establish educational institutions for the minorities.

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned that point.

SHRI K. RAHMAN KHAN: 1 want clarifications on these two points.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः जवाब देने में भी टाइम लगेगा।

श्री सभापतिः ऐसे ही होता है हर एक को । श्रीमती वीणा वर्मा। The question is this, it will be another debate for one or two hours. Then, we cannot have the Short Duration Discussion on subversive activities in the North-East region of the country. It is lying there for the last one month. Everything is important in the House.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश)**:** मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं**...**

श्री सभापति: आप बिना धन्यवाद के सवाल कर दीजिए।

श्रीमती वीणा वर्माः मैं सिर्फ बवेशन कर रही हूं एक एक लाइन के। मेरा प्रस्ताव कि नेशनल कमीशन फार चिल्ड्रेन बनाना चाहिए बच्चों के वेल्फेयर के लिए आपने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद, देना चाहती हूं । दूसरी चीज**....(व्यवधान)...** मंत्री जी यदि आप इधर तवज्जह करें तो बहुत हम आभारी रहेंगे। आपने लेखकों के लिए पेंशन अभी बढ़ायी है। लेकिन कोई योजना केन्द्र सरकार की ऐसी नहीं बनी है खास तौर से साहित्यकर्मियों की, रचनाकारों की मूर्तियां देश भर में लगायीं जाएं वृत चित्र बनाए जाएं**....(व्यवधान)...** इसके बारे में क्या कहना है? बाल साहित्य अकादमी का एक प्रश्न मैंने किया था**....(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः वे आपके सवाल का भी मेंशन करेंगे।

श्रीमती वीणा वर्माः यह भाषण नहीं है।

श्री सभापतिः नहीं । श्री सलीम, व्हाट इज द क्वेश्न? We cannot have another debate. Nothing more *...(Interruptions)...* Nothing more. No other point. If I allow you, I have to allow another 50 members. Please give your points to the Minister in writing.

श्री मोहम्मद सलीमः चिल्ड्रेन के लिए आप कमीशन बना रहे हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन यूथ कमीशन या काउंसिल बनाने की बात दस साल से आपके डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। आपने कुछ फैसला लिया है या नहीं, या कब लेने जा रहे हैं? दूसरा , यह कि आपने एक बड़ा खतरनाक इशारा किया आपने भाषण में डिस्ट्रीब्यूशन आफ नालेज के प्राइवेटाइजेशन के लिए **....(व्यवधान)...** आप चिंता नहीं किजिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। मल्होत्रा जी घबराने वाली बात नहीं है**.....(व्यवधान)...** सबसे अधिक डिक्की डिस्ट्रिब्यूशन की आज शाप्स खुल रही है। अखबारों में फारेन डिग्री के लिए डीलरशिप के इशतिहार हैं। अखबार में यह रोजाना इशतिहार छापे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कदम उठाएंगे जो ये विदेशी डिग्रियों के लिए शाप्स खुलती जा रही हैं**.....(व्यवधान)...**

श्री सभापति : हो गया। खत्म हो गया।

डा. मुरली मनोहर जोशीः माननीय जी, ये लिखकर भेज दें, हम जवाब दे देंगे।**....(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: You all may give them to him in writing. He will give you the reply in writing. *(Interruptions).* I , have another twenty. *(Interruptions).* I can tell you, the north-east is a very serious thing. We have already lost one month. *(Interruptions).* It happens with every debate. *(Interruptions).* Nothing more, please. Yes. Mr. Minister.

श्री नरेश यादव (बिहार)**:** हमारी पार्टी का **.....(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः इसमें पार्टी का सवाल नहीं है।**....(व्यवधान)...** पार्टी का हो गया, अब नहीं ।**....(व्यवधान)** Give him in writing.

डा. मुरली मनोहर जोशीः महोदय, बहुत सी बातें तो पहले ही कही जा चुकी हैं और जिनका उत्तर कहीं न कहीं मैं दे चुका हूं। अब हरेक व्यक्ति उस पर बहुत विस्तार से चाहता है, तो वह तो शायद संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रुप से बातऊं कि यह सवाल कहा गया है कि 32 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, तो अब कई योजनाएं बनी हुई हैं। डी.पी.ई.पी. की योजना है। उनमें जो ड्राप आउट्स हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस बारे में ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही शुरु में कहा था कि हम दिल्ली से बैठ करके ये सारे काम नहीं कर सकते । ये काम जब तक स्थानीय सत्तर पर नहीं शुरु होंगे जब तक इसमें कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक कोई सरकार नहीं कर सकती। जो लोग आज उधर बैठे हैं, औऱ 50 साल तक इधर बैठे रहे, तब क्यों नहीं हुआ? अब यह तीन साढ़े तीन महीने में कैसे हो सकता है। ड्राप आउट एक दिन में नहीं होते हैं। वे हुए हैं तो उनके लिए रोकथाम करने की जरुरत है। जो कमियां हैं उसमें से एक विशेष कमी यह कि सैंन्ट्रलाइजड स्कीम के कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डी सैट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो राज्य सरकारों से बात करनी पड़ती है।

वह उनका अधिकार क्षेत्र है। स्कूल वे चलाते हैं। हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। सुझाव दे सकते हैं। वह जनतांत्रिक प्रणाली है। इसमें जो अधिकार राज्यों के हैं, जो काम वे कर रहे हैं उसमें हम उनको सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उन पर दबाव नहीं डाल सकते। उनकी भी अपनी कठिनाइयां हैं। इसिलए मैंने कहा कि जब तक इसमें पंचायतों को शामिल नहीं और यह काम वहां तक नहीं पहुंचेगा और वे अपने उस क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम दिल्ली से नहीं कर सकते, कोई कलकत्ते से, लखनऊ से, मुंबई से, चेन्नई से नहीं कर सकते। उसकी तरफ बार बार मैं कहता रहा हूं और फिर अनुरोध करता हूं कि हमें उप तरफ गया ए. आई. सी. टी. ई. के लिए कि उनकी तरफ से बहुत कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो हमारे देखने में यह आया है कि बहुत से लोग संस्था तो बना लेते हैं और फिर साल दो साल के बाद रफूचक्कर हो जाते हैं, उसकी रोकथाम की जाती है। वहां के अध्यापकों को तनख्वाह मिले वहां बिल्डिंग ठीक से मिले और इसलिए सोच समझ करके इंजीनियरिंग कालेजेज बनाने हैं, मेडिकल कालेजेज बनाने हैं या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बनानी हैं तो उसकी लायब्रेरी होनी चाहिए, उसमें लेबोरेटरी होनी चाहिए, उसके लिए उनके पास आवश्यक पैसा है या नहीं, इस पर विचार करना पडेगा। नहीं तो फिर हर रोज जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि शॉप्स खुलती जायेगी। यही रोकथाम की व्यवस्था हम कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

डा. (श्रीमती) उर्मिला चिमनभीई पटेल:
लेकिन यह पैसा इसमें यूज नही कर सकते हैं...(**व्यवधान**)...और यह डिपाजिट्स...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशीः ये डिपज़िट्स रखने पड़ते हैं और रखे जायेंगे। हमारी नीति इस डिपाजिट्स को रखने की है ताकि कोई भी संस्था बच्चों के भविष्य के साथ खिलबाड करके भाग न जाए, रफूचक्कर न हो जाए यह बिल्कुल सही नीति है। इसके बाद यह ह्यूमैन डिवैलपमेंट रिपोर्ट के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट हर साल छपती है और उस रिपोर्ट में कुछ कुछ विशेष एरियाज लिए जाते हैं। कभी कोई तो कभी कोई, उसमें आप देख सकते हैं कि सारे क्षेत्रों में विशेष करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बारे में, अविकसित देशों के बारे में, उनकी शिक्षा की परिस्थिति के बारे में विस्तार से दिया गया है। कैसे उनकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसकी तरफ जो उनका असेसमेंट है वह बताया गया है। जरूरी नहीं है कि वह जो कह रहे हैं वह सही ही हो और इसे आप मानें। लेकिन जो भी यू. एन. डी. पी. का, यूनेस्को का, वल्ड बैंक का, विभिन्न ऐसी संस्थाओं की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं, वह उनका अपना असेसमेंट होता है। हमारे लिए एक सहयोगी डाकूमेंट होता है, जिसके आधार पर हम समझ सकें कि How are we being judged internationally? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बारे में क्या विचार रखे जाते हैं। इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। उसमें कई बार अच्छे सुझाव भी होते हैं जिन का हम लाभ उठी सकते हैं।

यह बात बताई गई की महत्वपूर्ण समिति में कोई महिला नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि इसमें महिला और पुरुष के आधार पर नहीं...। परंतु यह एक काम हमें जल्दी से करना था कांस्टीट्यूशन और उसके निर्देशों के आधार पर। इस समिति को पूरा अधिकार है कि वह इस देश की विद्धान और इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का पूरा लाभ उठाए, उनसे सलाह ले। वह उन को कोऑप्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। इसमें हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं है।

फिर पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के स्तर की बात कही गयी। देखिए, यह साधनों की बात है। अगर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपया उपल्ब्ध हो तो हम अपने यहां स्कूल खोलें। कुछ और अधिक घन उपलब्ध हो तो उन का स्तर बढ़ाएं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं और स्थानीय संस्थाओं के स्कूल्स हैं, उनमें सामाजिक सहयोग मिले। अगर बहुत ज्यादा धनी लोग कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं तो जिन के पास कम साधन है वह थोडा कम करें, लेकिन बच्चों को शिक्षा दना समाज का दायित्व हैं। अगर बच्चे अनपढ़ रहते हैं तो कोई सरकार के बच्चे

अनपढ़ नही रहते हैं? सारे समाज के बच्चे अनपढ़ रहते हैं, उप परिवार के बच्चे अनपढ़ रहते हैं, उस गांव के बच्चे अनपढ़ रहते हैं। सभापति जी, मैं तो जिन जिस गांवो में जाता हूं तो उन लोगों से कहता हूं कि यह सरकारी बच्चे नहीं हैं, यह बच्चे तो आप के हैं, यह आप के गांव के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। आप भी प्रयत्न कीजिए, कुछ हम भी प्रयत्न करें और मिल जुल कर काम किया जाए। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और यह जो बात है कि हर काम सरकार करे, ठीक नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कह सकता हूं कि जब वे इधर थे तो 59 साल तक नहीं कर पाए और जब हम इधर हैं तो साढ़े 3 महीनें में कैसे कर पाएंगे? वह व्यवहारिक बात होनी चाहिए। मैंने कर पाएंगे? यह व्यवहारिक बात होना चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था कि आज जो स्थिति है, उसको देखकर जो प्रैक्टीकल चीज है, उस पर बात की जाए। मैं आप को यह बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि अगर कोई व्यावहारिक सुझाव शिक्षा को जल्दी से जल्दी फैलाने के लिए आएगा, एन. जी.

ओज. क माध्यम से, सेवाकर्मियों के माध्यम से या वालिंटियर्स के माध्यम से आएगा तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं, पूरी सहायता देने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी नेकनीयती से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जल्दी से जल्दी अपने वहां के बच्चों को शिक्षित कर सके, उसके लिए जो व्यावहारिक सुझाव हैं, मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूं।

सभापति जी, मैं मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनसे इस बारे में मैं सहमत नहीं हूं कि यू. जी. सी. अपने फैसलों को इसी तरह से बदल सकती है। यू. जी. सी. को अधिकार है और उसने उस अधिकार का उपयोग कर लिया था, उसने हमें अपनी रिपोर्ट भेज दी थी कि हम ने यह रिपोर्ट स्वीकार करली है, एम्पावरमेंट कमेटी ने उन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और आप दोनों महानुभाव तो स्वयं मंत्रिपरिषद के सदस्य रह चुके हैं और फिर महीने, डेढ़ महीने बाद वह कहते हैं कि नहीं साहब, अब तो हमारी एक नई रिपोर्ट आ रही है। ऐसा होता नहीं है। आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं। आप तो कभी इन बातों को नहीं मानते। जरा सी भी बात होती तो स्वीकार नहीं करते। आप वित्त मंत्री के नाते कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं करते रहे हैं जो आज उन्हीं बातों को दूसरी सरकार से स्वीकार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमने सारी बातों को पूरे तौर पर कंसीडर किया है, सारी बातों को देखा है। हमने कभी यह नही कहा कि हम यू. जी. सी. का अनादर करते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा था, उस के आधार पर मैंने यह कहा कि यह भी उन्हीं की रिपोर्ट है। मैं तो चाहूंगा कि अध्यापकों को तनख्वाह उससे भी अधिक मिले। क्या जरूरत है कि आई. ए. एस. के बराबर मिलें? क्यों यू. जी. सी. ने सिर्फ आई. ए. एस. के बराबर तनख्वाह तय की, उसके अधिक क्यों नहीं तय की? सभापति जी, अगर अध्यापक को तनख्वाह देनी है तो मैं इस राय का बनूंगा, लेकिन आप ने जो वित्तीय साधन इस देश के सामने रखे हैं, उसमें क्या दे सकते हैं सवाल उसका है और जो दिया जा सकता है, सवाल उसका है और जो दिया जा सकता है, उसमें मैक्सीमम दे सकते हैं। आप मुझे फॉर्मूला बता दें कि उससे ज्यादा ऐसे हो सकता था। हम तो तब भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया, न कोई बताने के लिए तैयार है और उसके रिपरकशंस क्या है यह आप मुझ से बेहतर जानते हैं।

DR. MANMOHAN SINGH: I am sorry to say that this is not a reply.

डा. मुरली मनोहर जोशी: वह सवाल नहीं है। सवाल बहुत साफ है कि जो कुछ मैक्सीमम दिया जा सकता है अध्यापकों के हित में वह देने के लिए तैयार है। सभापति जी, मैं तो स्वयं अध्यापक रहा हूं और अध्यापक संघों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। वह तो इसत्तफाक है कि मैं इधर बैठा हूं वरना बहुत दिनों तक तो मैं भी मंत्रियों के पास उन की समस्याएं लेकर आता रहा हूं। मैं पूरी सहानुभूति के साथ कहना चाहता हूं कि जो बेस्ट हम दे सकते है, वह जरूर देंगे, जितना अधिक से अधिक आज के हालात में दे सकते हैं, उतना जरुर देंगे। इस बारे में हमारी बहुत सद्भावना हैं। सभपति जी, डेढ़ साल तक यह मामला लटका रहा, क्यों नहीं तय किया गया इस मामले को? मैंने तो 20 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके पहले डेढ़ दो साल मामला लटका रहा, क्यों नहीं अनाउंस किया गया? तब किसी ने दबाव नहीं डाला।

इसलिए इस बात को व्यावहारिकता के साथ सोचना चाहिए और मैं इस बारे में पूरा विश्वास दिलाता हूं। मैंने अध्यापकों की सर्विस कंडीशंस उनकी पे से डिलिंक कर दी है। यह किसी सरकार ने नहीं की। मैंने कहा कि यह अलग बात है, वह अलग बात है। हम उन की आटोनोमी की रक्षा कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हम ने कहा कि हम यू. यू. सी. के साथ बैठकर बात करेंगे। हम यू. जी. सी. की भी ऑटोनोमी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यावहारिक आधार पर और कायदे कानून के हिसाब से कोई बात नहीं की गयी तो उस बात को मानना चाहिए कि उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। यू. जी. सी. रस्तोगी कमेटी को टोटली रिजेक्ट कर सकती थी कि हम इसे नहीं मानते, तय तो बात मेरी समझ में आती। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद दुबारा फिर उसको कहना कि अब हम एक नई रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यह तो अनुचित है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सवाल यहां उठाए गए। बहुत से राज्यों में नहीं है, जो ऐतिहासिक कारणों से नहीं है। आगे बन सकेंगे तो जरूर बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन उसके बारे में यदि छूट देगा, तो बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि यह बनें अच्छी तरह से बनें। तो उनको भी जरूर करेंगे।

महोदय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मिश्र जी ने सवाल किया। वह स्वयं भी बहुत दिनों तक मंत्री परिषद में रहे हैं और वह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैसे ही छात्र रहे हैं, जैसे कि मैं रहा हूं, बहुत सम्मानित छात्र रहे हैं। जो कठिनाई इस बारे में उनकी सरकार के सामने थी, वही रह गई है।

श्री जनेश्वर मिश्र: क्या कठिनाई रह गई है, वह बताइए आप।

डा. मुरली मनोहर जोशी: वह आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं आप स्वयं भी मंत्री परिषद में रहे हैं।

श्री मुरली मनोहर सलीम: यह तो लखनऊ की तरह हो गया कि पहले आप, पहले आप।...(**व्यवधान**)...

(**شری محمدسلیم**:یہ تولکھنوُی طرح ہوگیا کہ پہلے آپ،پہلے آپ۔۔۔"مداخلت"۔۔۔

श्री जनेश्वर मिश्र: मंत्री जी, आप आज मंत्री है। आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है? यह विभाग मेरे सकते हैं कि क्या दिक्कत है? यह विभाग मेरे हाथ में नहीं था, जब मैं मंत्री था।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप मंत्री परिषद के सदस्य थे। आपने उस वक्त क्या किया था इसके लिए? उस वक्त आप क्यों नहीं कर सकें? डेढ़ वर्ष तक आप मंत्री रहे।...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: अब मंत्री ही मैम्बर से सवाल पूछने लगे तो यह तो ठीक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हमें जो करना है, हम जरूर करेंगे। समय आने पर करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, हम यह जरूर जानना चाहेंगे। तब आपने यह पग क्यों नहीं उठाया था। अगर आपने कुछ किया था तो बता दीजिए क्या किया था?...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद सलीम: स्पष्ट बताइए क्योंकि इस मामले में हम लोग भी जानना चाहते हैं। यह सवाल पूरे हाऊस का है।...(**व्यवधान**)...

{**شری محمدسلیم**:اسپشٹ بتائے کیونکہ اس معاملے میں ہم لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں۔یہ سوال پورے ھاؤس کا ہے۔}

डा. मुरली मनोहर जोशी: समय आने पर सदन को भी पता लग जाएगा कि वहां हम क्या कर रहे हैं। इसका हल हम कैसे कर रहे हैं, वह भी बता देंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: (उत्तर प्रदेश) नहीं, कठिनाइयां क्या हैं, वह तो बता दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कठिनाइयां हल के साथ बताएंगे। ...(**व्यवधान**)... दोनों चीज साथ साथ बताएंगे, कठिनाई भी और उसका हल भी। हम हल और कठिनाई भी और उसका हल भी। हम हल और कठिनाई, दोनों साथ साथ बताएंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मंत्री जी, विश्वविद्यालय का सवाल है। आपकी कठिनाइयां क्या है? वह तो कम से कम सदन को जानकारी दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमसे जब हल नहीं होगी, तब हम आपकी शरण में जरूर आएंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: कब तक हल कर देंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: जैसे ही हल हो जाएगी, आपको बता दैंगें ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: अब तक की जो कठिनाइयां हैं वह तो सदन के सामने रखिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी: देखिए, हम कठिनाइयां और हल, दोनों साथ साथ आपको बता देंगे। आप निश्चित रहिए। जैसे ही हल होगा, आपको बता देंगे।...(**व्यवधान**)... आज तक कभी पूछा नहीं, इन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। कब आपने 50 साल बाद जिक्र किया है तो देखिये फिर।...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: 50 साल में हमने क्या क्या किया, वह भी तो गिनती करा दें।...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं तो गिना चुका हूं। जितेन्द्र जी, मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि यहां क्या अच्छी बातें हुई हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: बार-बार आप 50 साल की बात कर रहे हैं। मैंने आप जब इस बात को उठाते थे तो आपको जवाब देते थे और आप हे बताना नहीं चाहते।...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो आपने नहीं किया, वह भी बताना मेरा फर्ज है। जो आपने किया, उसका मैंने जिक्र किया है लेकिन जो आप नहीं कर सके, वह भी तो मैं बताऊंगा।...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: जरूर बताइए, लेकिन आपकी हर बात में 50 साल आ जाता है।...(**व्यवधान**)...

सभापति : अच्छा, आगे चलिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपने सवाल उठाया। देखिये, आपरेशन ब्लैक बोर्ड का कई स्थानों पर जहां सेचूरेशन आ गया है वहां जरूर काम हुआ है, लेकिन आपरेशन ब्लैक बोर्ड सुधारा जाए और कंटीन्यूइंग एजुकेशन के रूप में सुधारने की उसकी जो बात थी, उसके संबंध में राज्य सरकारों से बराबर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी देश में आशिक्षा को दूर करें और कैसे इन कार्यक्रमों का हम सफल संचालन करें। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, इसमें हम सलाह करें। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, इसमें हम सलाह दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेटिशन व्यवहारिक तौर पर राज्यों के द्वारा ही होता है और विभिन्न राज्यों की स्थिति भिन्न भिन्न है। कुछ स्थानों पर वडे कठिन क्षेत्रों में मामला आ गया है और कुछ स्थानों पर जहां सरल क्षेत्र थे वहां पहले बड़ी सफलता के साथ वह दिखाई दिया, काम होता चला गया। कुछ अब ऐसे क्षेत्र आ गए हैं, जहां कठिनाइयां हैं, वहां पहले से ही शिक्षा की दर इतनी कम थी और वहां शिक्षा के प्रति इतना लगाव नहीं था तो वहां लोगों में लगाव पैदा करने में, लोगों को इधर लाने में, आपरेशन ब्लैक बोर्ड को सफलता के साथ संचालन करने में उसका पिकअप हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में कि ऐसे सारे कार्यक्रम अधिक तीव्रता के साथ आगे चलेंगे।

महोदय, स्पोट्र्स के बारे में सवाल उठाया गया और इस पर बहुत चिंता व्यक्त की गई थी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई संसद सदस्य इन्फ्रास्ट्रकर बनाने के लिए स्पोट्र्स में 50 प्रतिशत देगा तो 50 प्रतिशत हम यहां से देंगे। ग्रामीण पुंस्तकालय की जो योजना है, हम चाहते हैं लोग इसका उपयोग करें। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है और जो कुछ संभव सहायता हो वह दी जाती है, लेकिन प्रश्न वही है कि जितना बजट है, जितना योजनाएं हैं उसमें जो प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उस पर पैसा खर्च हो जाता है और बाकी फिर अगले साल के लिए प्रोजेक्ट चले जाते हैं। इसमें बेहतर बात है कि आप मदद करें।

श्री सी. एम. इब्राहीम (**कर्णाटक**): सर, मैं चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों को लिखें, सहयोग देने के लिए। अगर कोई स्पोर्ट कांपलेक्स बनाना चाहते हैं या फील्ड बनाना चाहते है, इस बारे में आपके मंत्रालय से राज्य सरकारों को आदेश जाएं, निवेदन जाए कि कुछ जगहों पर, ताल्लुके लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके लिए रिजर्वेशन किया जाए ताकि संसद सदस्यों को उसमें जरूर पैसा लगाने में सुविधा होगी।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir, there is one more thing.

When we allot the funds from the MP's Local Area Development Scheme, we don't get the sanctions at the taluka level. The State Government says that it does not fall under the guidelines. Therefore, it is rejected. I had, allotted the funds once at the taluka level. So, it must be clear.

डा. मुरली मनोहर जोशी: उसके बारे में तो मीटिंग हो रही है।

दूसरी बात मुझे इस बारे में यह भी कहनी है कि स्पोर्टस के संबंध में अभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें ये सारे सुझाव हमने उनके सामने रखे हैं कि इन आधारों पर आप अपने राज्य की नीतियां ठीक ढंग से चलाएं। यह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकें, रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकें। हम उसका भी अनुसंधान करा रहे हैं कि वह कैसे बन सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि बहुत खर्चीले स्पोर्ट्स के मैदान हों और उसी के हिसाब से स्टेडियम बनाएं जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च वाले स्टेडियम बनाने के बारे में हम अनुसंधान करा रहे हैं, जिसमें थोड़ी बैठने की सुविधा हो, मैदान लैवल हो, बच्चे खेल सकें, कम्पीटीशन्स कर सकें, यह भी हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसका कोई पूरा फैसला नहीं होता, कब तक मैं सदन के सामने पूरी योजना रखने में असमर्थ हूं। लेकिन हमने उनको सब सुझाव दिए है कि ये काम करने की तरफ की तरफ आप आगे आइए। राज्य सरकारों से उनकी राय मिलने पर हम सदन को अवगत करा सकेंगे कि इस दिशा में क्या होगा।

MR. CHAIRMAN: Now it is 1.40 P.M. shall we meet at 2.30 P.M.? The House is adjourned till 2"30 P.M.

The House then adjourned for lunch'at forty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes pOst two of the clock, The Chairman in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Short Duration Discussion.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Madam, I have a small point. We had given notice on the same subject but with regard to the southern part of the country—'ISI activities in the south. Shri O. Rajagopal and I had given notice. But to our surprise, today we find that it is confined to North-East only and my and Rajagopal's names arc included in the list.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): It is only about the North-East. It is not about the southern part of the country. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will find out. *(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, perhaps he is not aware of the manner in which these notices are decided.

THE DEPUTY CHAIR'MAN: Just one minute. Let me find out.

SHRI NILOTPAL BASU: This was decided on the first day of the Budget Session itself. *(Interruptions)* SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, insurgency is everywhere. This can be permitted. *(Interruptions)*

SHRl NILOTPAL BASU: No, no. This is a Short Duration Discussion. This was decided on ihc basis of consultations between all parties in the beginning of the session itself. Unfortunately, Advaniji had to go to Gujarat at that time and it could not be held and so it has been carried over to this day. I don't know why they are talking about that now. We have never discussed the problem of insurgency in the south. It is very innocuous. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, according to the Rules of Procedure and the decisions of BAC, it is very clear that only one specific issue can be discussed. Those rules have been approved by the Committee... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. I understand it. *(Interruptions)* Just one second, Mr. Basu. *(Interruptions)* Can I say something?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, actually they want to politicise it. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I understand that Mr. Rajgopal and Mr. Venkaiah Naidu had also given this notice. The hon. Chairman in his own wisdom has allowed discussion only on the North-East. That is why it is listed today. If you want that south or any other part of the country should also be discussed, you can very well talk to the hon. Chairman. But this is what was decided in BAC. It has been listed for today. Let us start the discussion. Let Mr. Malhotra start the discussion. In any case, if you want to speak, you may add that to your speech. There is no restriction on you. *(Interruptions)*

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: I am sorry, Madam, ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Let me complete. *(Interruptions)* Just listen.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the whole discussion will be politised.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, what do we do in Parliament, if we don't do politics? We do politics here.
Let me complete my sentence first.

So, it is quite natural that every Member would want to speak about what he thinks the problem is, whether something is listed or unlisted. You will speak about your concerns.

SHRI R. MARGABANDU: With due rspect, I want to say one small thing. BAC had looked into the matter and allowed discussion only on one aspect of the matter.

SHRI NILOTPAL BASU: The only problem is that they do not know the Rules of Procedure, Madam. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Anyway, Madam, you have just now given the ruling that we should consult the hon. Chairman. But you are also saying that we can add this while speaking. Madam, the problem of North-Bast is totally different. The problem of south is different. They want- to politicise the
issue. *(Intelrupiions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ore minute. According to the rules, if the debate becomes irreleviarit at any fxiint of time, the Chair can stop the discussion. But as long as the discussion is within the rules and it is relevant to the subject, Members can speak. Well, we all belong to India. There is no division in the country. So, if some Member speaks, I cannot stop him. Also, I cannot direct a Member before he has spoken. I don't know what Mr. Venkaiah Naidu has in his mind. He might speak about Maharashtra or Gujarat. Let the discussion start and we will direct it properly. Don't worry about it.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, then I should also be given permission to speak afterwards. I will confine myself to North-East *(Interruptions)* They want to politicise it. I feel that I must be given a chance to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When we reach the river, then we will know how to cross it. Okay, let us reach. You are preempting it. If you did not say, I am sure, he would not have mentioned it. Now, as you have said, I would be apprehensive he might do it. ...*(Interruptions)*... Okay. Now Prof. Vijay Kumar Malhotra.

SHORT DURATION DISCUSSION

The Grave Siuuation Arising out of Increase in the Subverrfv Activities in the North-Eastern Region of the Country

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (**दिल्ली**): उपसभापति महोदय, आज पूर्वोत्तर राज्यों से आतंकवाद पर बहस मणिपुर में कल आतंवादियों के हाथों मारे गये आठ जवानों की प्रष्ठभूमि में हो रही है। सी. आर. पी. एफ. के आठ जवान जिनमें से तीन नॉन कमीशंड आफिसर्स